प्रकाशन संख्या-413

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 404

परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक ....को सदन में उपस्थापित।

वेबसाइट (अपलोड)
कृपया अविलंब

[illegible]
13/09/17

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2002-2003	क
2.	लोक लेखा समिति की उप समिति (2) का गठन	ख
3.	महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	ग
4.	सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	घ
5.	प्राक्कथन	च
6.	प्रतिवेदन	1—67
7.	परिशिष्ट	'छ'

लोक लेखा समिति की उप-समिति (2) का गठन वर्ष 2002-2003

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०

संयोजक

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स० वि० स०

सदस्यगण

3. श्री रामचन्द्र राय, स० वि० स०
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स० वि० स०
5. श्री पी०के० सिन्हा, स० वि० प०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना ।
2. श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, बिहार, पटना ।
3. श्रीमति विनीता मिश्र, उप महालेखाकार, बिहार, पटना ।
4. श्री जटा शंकर झा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री रणवीर प्रसाद, लेखा परीक्षा अधिकार, पटना ।
6. श्री सतीश चन्द्र झा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
9. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षा, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री यू०एन०पंजियार, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री के०सी०मिश्रा, अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना ।
3. श्री रामेश्वर सिंह, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), बिहार, पटना ।
4. श्री के०पी०मंडल, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. श्री तिलक राज गौरी, बजट पदाधिकारी-सह अवर सचिव, वित्त विभाग ।

कम्प्यूटर कोषांग, वाल्मी, फुलवारीशरीफ (पटना) में जल संसाधन विभाग के प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण

1. श्री शीलभद्र सिन्हा, सिस्टम मैनेजर
2. श्री शैलेन्द्र, सहायक प्राध्यापक
3. श्री सरोज कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक

असमानता रहना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी राज्य के लिये यह शुभ लक्षण है। इस दरम्यान राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग ने समग्र रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में एक अनुकरणीय भूमिका अदा की है, जो काबिले तारीफ है। इस दरम्यान परिवहन विभाग भी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में त्वरण प्रदान कर एक अनुकरणीय छलांग लगाई है। इस कार्य में परिवहन विभाग के सचिव/आयुक्त श्री एन. के. सिन्हा की अग्रणी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। इन्होंने अपने संक्षिप्त कार्य-काल में परिवहन विभाग से संबंधित लंबित कंडिकाओं की विकरालता को सामान्य समय में आवश्यक अधिकमतर संक्षेपण कर दिखाया है। इनका यह कार्य असंभव को संभव कर दिखाने जैसा है। इनके द्वारा दिये गये कंडिकाओं का विभागीय स्पष्टीकरण और कार्यान्वयन भी उच्च स्तरीय, कारगर एवं समुचित रहा है।

यह विभाग सी. ए. जी के वर्ष 86-87 से 99-2000 यानि कुल 14 प्रतिवेदनों से संबंधित तमाम कंडिकाओं का समुचित निष्पादन करवाने में सफल रहा है। इन कंडिकाओं के निष्पादन के दरम्यान 544 वाहन मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 17050 निलाम पत्रबाद विभिन्न न्यायालयों में दर्ज करवाया है। इन वादों में 48 करोड़ 72 लाख रू0 राजस्व वसूली समाहित है। इन मामलों में लगभग 100-100 से अधिक मोटरयान निरीक्षकों एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी है।

सी. ए. जी. के विभिन्न कंडिकाओं का समुचित निष्पादन और कार्यान्वयन किस तरह किया जाना चाहिए - यह सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित लोक लेखा समिति द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अवलोकन करने से प्राप्त हो सकता है। समिति आशा एवं अपेक्षा करती है कि

विभिन्न आयुक्तों / सचिवों एवं मंत्रियों को इन प्रतिवेदनों को उपलब्ध कर गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए और तद्नुरूप यदि हम इसी आलोक में आवश्यक कदम उठा पाते है तो एक हद तक राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। समिति सरकार से अपेक्षा एवं आशा करती है कि परिवहन सचिव श्री एन. के सिन्हा और जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव, श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह जैसे पदाधिकारी को वित्तीय प्रबंधन में एक दक्ष एवं कर्तव्य निष्ठ पदाधिकारी का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान करेगी अथवा अग्रतर अनुशंसा करेगी । बहुत कम समय में भारत के संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं के अनुरूप वर्तमान लोक लेखा समिति ने कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों, प्रबंधनों, छानबीन तथा इस पर अंकुश लगाने संबंधी सौंपी गयी स्वतंत्र जवाबदेही को इमानदारी से निभाने का प्रयास किया है। इस कर्तव्य निर्वाहन पर समिति के तमाम सदस्य गौरवान्वित अनुभव करते है। इस अवसर पर मैं समिति के तमाम माननीय सदस्य, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न विभागों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों-कर्मचारियों, विशेषकर कम्प्यूटर संचालकों रिर्पोटरों, वाल्मी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा महालेखाकर के पदाधिकारियों को धन्यावाद दिये बिना नही रह सकता हूँ। अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह प्रतिवेदन दिनांक 29-4-03 को वाल्मी (नि० भ०) प्रवास में मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित है।

पटना
दिनांक 29-4-03

रामदेव वर्मा,
सभापति
लोक लेखा समिति

वर्ष 1996-97

पृ० 1 से 13

परिवहन विभाग

Year- 1996-97

4	5.1	**5.1. Result of Audit** Test check of the records in the transport offices during the year 1996-97, revealed non-levy and short levy of motor vehicles tax, fees, penalties, fines etc. amounting to Rs. 1036.64 lakhs 4866 cases, which broadly fall under the following categories :-	विभिन्न वर्षो के लेखा परीक्षा की [illegible] मुख्य तौर से इन्ही बिन्दुओं पर [illegible] है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नहीं लिये गये है अथवा कम दरो पर लिये गये है । इस प्रकार की त्रुटियो की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रतिरोधात्मक उपाय एवं जो त्रुटियाँ प्रकाश मे आई है उनके परिमार्जन के उपाय दोनो पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है पूर्व मे दायर नीलाम पत्र वादो को छोड़ कर इस डाटा बेस मे वर्णित किये जाने वाले सभी मामलो मे मुख्यालय स्तर से ही प्रश्नगत मामलो मे नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधियाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनो पर उक्त लेखापरीक्षा की तिथि को वसुलनीय राशि के साथ साथ लेखापरीक्षा की तिथि से लेकर [illegible] जाने की तिथि तथा [illegible] जोड़ते हुये नीलामपत्र वाद दायर कर तथा दायर किये गये वाद संख्या मुख्यालय को प्रेषित करे, जो कम्प्यूटर मे संधारित [illegible] जाय तथा उसकी मौनिटरिंग समय-समय पर संभव हो सके । इस प्रक्रिया [illegible] उत्तरवर्ती बिहार के विभिन्न जिलो मे दायर नीलामपत्र वादो की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियाँ परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है जिसमे कुल 17.92 करोड़ रू. की राशि के नीलामपत्र वाद 7752 मामलो मे दायर किये जाने की सुचना सन्निहित है । चूंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया से लेखापरीक्षा मे पाया जाने वाली अधिकांश त्रुटियो का भविष्य मे निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है । भविष्य मे करो अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरे गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले मे बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निर्गत हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अवांछित कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलो को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पांच जिलो यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ और भागलपुर आदि की	विभाग द्वारा [illegible] [illegible] मे दि [illegible] स्पष्टीकरण सुधारात्मक उपायो [illegible] संतोषजनक [illegible] कंडिका बिहार के जिलो संबंधी मे निष्पादित है।

(२८)

तर्ज पर [illegible] माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराये जाने हेतु [illegible] योजना मद से राशि भी प्राप्त हो चुकी [illegible] कम्प्यूटरीकरण के काम सम्पन्न हो जाने के उपरान्त मैनुअल कैलकुलेशन की त्रुटियां की आशंका समाप्त हो जायेगी तथा [illegible] जुर्माना फीस आदि [illegible] की स्थितियाँ भी [illegible] क्योंकि [illegible] हो [illegible]

उपर्युक्त [illegible] अतिरिक्त [illegible] कंडिकाओं [illegible] आवश्यक [illegible] [illegible] किया [illegible]

	No of cases	Amount (In lacks Rs.)
1. Non-levy and short levy of taxes	3539	129.30
2. Short levy of taxes due to wrong fixation of seating capacity/RLW	83	5.12
3. Non-imposition of fees fines and penalties	108	4.18
4. Other cases	1136	898.04
Total	4866	1036.61

During the course of the year 1996-97, the concerned departments accepted under-assessments etc. of Rs. 123.24 lakhs involved in 459 cases, of which 28 cases involving Rs. 1.37 lakhs had been pointed out in audit during 1996-97 and the rest in earlier years.

A few illustrative cases involving a tax effect of Rs. 168.03 lakhs are given in the following paragraphs :-

5.2 **5.2 Non-levy/non-realisation of road tax and/or additional motor vehicles tax**

Under the Bihar Orissa Motor Vehicles Taxation Act, 1930, (replaced by the Bihar Motor-Vehicles Taxation Act, 1994), every registered owner or person having possession or control of a motor vehicle is liable to pay road tax and additional motor vehicles tax annually or quarterly, as the case may be, at the rates prescribed from vehicles tax annually or quarterly, as the case may be, at the rates prescribed from time to time within the prescribed time. In case of default, extra tax is payable by the owner payment of up-to-date tax is a pre-condition for renewal of a certificate of fitness or issue of duplicate certificate of registration.

During the course of audit of 22 District (Aurangabad, Bhagalpur, Bokaro, Chaibasa, Chapra

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में [illegible] कण्डिकाओं से मुख्यतः यह [illegible] होता है कि [illegible] पर कर अथवा अतिरिक्त कर की [illegible] वसूली अथवा [illegible] वसूली से [illegible] है। संबंधित वर्षों के सभी लेखा [illegible] प्रतिवेदन [illegible] की [illegible] रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा [illegible] राज्य के जिलों [illegible] छोड़कर इस [illegible] के सभी जिला परिवहन कार्यालयों से अद्यतन [illegible] सभी [illegible] वाहनों की सूची प्राप्त कर [illegible] जिनके विरुद्ध कर अथवा अतिरिक्त [illegible] बकाया है [illegible] सभी [illegible]

गृह (आरक्षी) विभाग [illegible] कंडिका से संबंधित [illegible] को अनुपालन [illegible] [illegible] करायें। इसी [illegible] राजस्व पर्षद [illegible] भी उपर्युक्त अनुदेश लागू [illegible]

(93)

	Darbhanga, Gaya, Giridih, Godda, Gopalganj, Hazaribagh, Jamshedpur, Katihar, Lohardaga, Madhepura, Madhubani, Muzaffarpur, Nawadah, Patna, Ranchi, Samastipur and Sahebganj) Transport Offices (between May 1996 and February 1997), it was noticed that there was non-levy/short realization of road tax and additional motor vehicles tax in respect of 20[illegible] vehicles amounting to Rs. 25.51 lakhs (between July 1982 and February 1997) due to application of incorrect rates, non-realisation of extra tax, vehicles not paying taxes but involved in road accident, irregular renewal of certificate of fitness, issue of duplicate certificate of registration and non-realisation of instalments of arrear dues. On this being pointed out (between May 1996 and February 1997) the District Transport Officers (Bhagalpur and Sahebganj) stated (between September 199[illegible] and November 1997) that in respect of [illegible] vehicles Rs. 2.82 lakh was recovered, in respect of [illegible] vehicles certificate cases were filed and demand notice was issued against one vehicle owner. Reply in other cases has not been received (January 1998). The above points were reported to Government (between January and April 1997); their reply has not been received (January 1998)	वाहनों से बकाए की वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ का अनुपालन ही नही बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य मे ऐसे 18,216 मामले प्रकाश मे आए जिनमे कुल 29.62 करोड़ रू. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलों मे संबंधित सभी पदाधिकारियों को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश दे दिया हो गया, मुख्यालय स्तर से [illegible] संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस [illegible] गया। इसी क्रम मे कतिपय [illegible] आने पर यह प्रकाश मे आया कि [illegible] नाम पता पर वाहन को निबंधन [illegible] का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे मामलो मे प्राथमिकी दायर करने का निदेश भी दिया गया। मुख्यालय स्तर से <u>544 मामलो मे प्राथमिकी</u> दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधन जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह मे आयोजित होनेवाला समीक्षा बैठकों मे उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनों स्वामियों से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करे तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पत्र-3 एवं 4 मे पूरा [illegible] जिलों को [illegible] दायर [illegible] भी [illegible] सचिव स्तर से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलो को त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबतक 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों मे नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	
5.3	Non-realisation of taxes from vehicles involved in exemption/surrender- Under instructions issued (January 1990) by the department surrender of documents is to be treated as	इस कंडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलो के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलो के संबंध

		automatically cancelled if not withdrawn beyond a period of three months and taxed accordingly. Under the Bihar Motor Vehicles of tax unless he has furnished an undertaking for non-use of the vehicle *******therein the period of non-use and the parking place of the vehicle During the ***** any vehicle not found at the specified parking place shall be deemed to have been ***** through this period without payment of tax. The owner is also required to pay tax up to the date of surrendering the documents. An undertaking unless extended shall be valid up to six months. During the course of audit of 15 District Transport Offices (Bhagalpur, Chapra, Daltonganj, Dhanbad, Deoghar, Darbhanga, Giridih, Hazaribagh, Jamshedpur, Madhubani,m Muzaffarpur, Madhepura, Patna, Ranchi and Siwan.) . It was noticed (between June 1996 and February 1997) that in respect of 115 vehicles then was non-payment of up-to-date tax at the time of surrendering documents. were surrendered but vehicles were not found in the parking places, The **** declarations for extension beyond six months were not withdrawn exceeding three months *** ther owners though the exemption petitions were rejected by the State Transport Commissioner, Bihar. This resulted in non-realisation of taxes amounting to Rs. 65.42 lakhs (between January 1988 and February 1997). On this pointed out (between June 1996 and February 1997) the concerned District Transport Officers (Dhanbad, Bhagalpur and Daltonganj) stated (between September 1997 and November 1997) that Rs 0.39 lakah was realized in respect of 3 vehicles, certificate cases were instituted in case of 14 vehicles and demand notices were issued against 10 vehicle owners In other cases, no reply has been receive (January 1998). The above cases were reported to Government in January 1997, their reply has not been received (January 1998)	है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलों के संबंध में अब झारखंड के अधिकारियों द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है। वाहनों स्वामियों द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनों का प्रत्यर्पण दिखा कर करों का भुगतान नही करना और वास्तव में वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों में वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलों की समीक्षा करें और जहा भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित हो अथवा नही, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत कराये । सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04. 2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्यर्पण के वैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजे । उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षको द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अबिलंब भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रषित किया गया है। जहां तक वैसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले में भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलों में शामिल न हो ।	मे विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

			वस्तुतः बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 में कुछ वैधानिक प्रावधन ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद में भी प्रर्त्यपण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमें वाहनों का प्रर्त्यपण तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रर्त्यपण विधिवत किया जाय । राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के मान्य रहने की स्थिति में ही वाहन के प्रर्त्यपण का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रर्त्यपण की अवधि के लिए करों में छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियो की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।	
	5.4	**Lack of control over collection of taxes** Under the Bihar and Orissa Motor vehicles Taxation Act. 1930, as added from time to time and the Rules made thereunder. Tax in respect of a vehicle avable annually or quarterly within 15 days from the commencement of the year on inter, as the ease may be Under the Motor Vehicles Act, 1939 (replaced by the Act 1988), if owner of a motor Vehicle ceases to reside or have his place of business at address recorded in the certificate of registration of vehicle changes, he shall within my days of such change of address, intimate his new address to the concerned signal registering authority and if the new address is within the jurisdiction of other registering authority, to the other registering authority. Tax can be paid at any in the state. In case payment of tax in respect of any vehicle is made in an office than the one in which it was registered the authority receiving the tax is required such Information shall note the change of assress in the concerned register and take for realization of arrears of tax, if any. According to executive instructions by the State Transport Commissioner in August 1985 and reiterated in demand notices against the defaulters and iustitute certificate proceedings for realisation of taxes as arrears of land revenue During the course of audit of 8 District Transport	राज्य विभाजन के उपरान्त इस राज्य मे अबतक निबंधित सभी वाहनो मे से जिनके विरूद्ध किसी प्रकार के कर अथवा शुल्क का बकाया है, मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत डाटा-बेस तैयार किया गया है। मुख्यालय स्तर से मांग नोटिस भी दिए गए है तथा मांग नोटिस के फलाफल के आधार पर यथा आवश्यक नीलाम पत्र वाद दायर करने/ प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई भी की गई है। उक्त कृत कार्रवाई का विस्तृत विवरण उपर्युक्त कंडिका मे दिया गया है। मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारियो की मासिक समीक्षा बैठकों मे भी कर प्रमादी वाहनों की अद्यतन सूची, मांग नोटिस निर्गत करने की स्थिति, नीलामपत्र वाद दर्ज करने एंव निष्पादन की स्थिति, प्राथमिकी दायर करने की प्रगति आदि के आधार पर यथोचित निर्देश दिए जाते है । परिणामस्वरूप केन्द्रीय रूप से कर संग्रह एवं बकाए की वसुली पर प्रत्यक	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है। निष्पादित

offices it was (between julyu1996 and February 1997) that the owners of 60 transport vehicles had stopped payment of taxes in the offices where they were originally registered and no intimating regarding change of address was found recorded In these taxes amounting to Rs. 16.37 lakhs relating to various periods between September 1991 and December 1996 were in arrears. The department did not initiate any certificate proceeding for realization of taxes as arrears of land revenue or to ascertain the reasons behind stoppage of payment of taxes by these vehicle . This resulted in non-recovery of tax of Rs. 16.37 lakhs pertaining to the period September 1991 to December 1996.

On this being pointed out (between july 1996 and February 1997), the District Transport Officers (Dhanbad and Daltonganj) stated (September 1997) that [illegible] lakh was realized in case of 2 vehicles and [illegible] were issued against vehicle owners. [illegible] remaining cases, [illegible] Transport Officers that [illegible] notices [illegible] issued.

[illegible] reported to [illegible] April 1997) their reply [illegible] received (January 1998).

करारोपण पदाधिकारी द्वारा [illegible] नियंत्रण रखा जा रहा है।

इस कंडिका में आपत्तिग्रस्त मामलों में भी उपर्युक्त कंडिका के अनुरूप कार्रवाई की गई है ।

5.6 Non-realisation of additional motor vehicles tax-

Under the Bihar and Orissa Motor Vehicles Taxation Act. 1930 (replaced by Bihar Motor Taxation Act 1994), additional motor vehicles in lieu of passenger and goods tax is payable from April 1982 by registered owner of persons having possession or control of public service motor vehicles or transport vehicles at the rate specified in the Third Schedule to the Act. The government of Bihar, in their circular issued in May 1982, directed all the District Transport Officer to realize additional motor vehicles tax from the owners of public service motor vehicles along with the road tax with effect from April 1982. By an amendment issued in February 1992. additional motor vehicles tax is payable by all owner of transport vehicles.

During the course of audit of 8 District Transport Offices it was noticed (between June and December 1996) that additional motor vehicles tax in respect of 94 vehicles during the period between February 1992 and July 1997 amounting to Rs. 7.46 lakhs was not realized despite directions of Government.

On this being pointed out (between June and December 1996), the concerned District Transport Officers stated (between June and December 1996) that in respect of 57 cases demand notices would be issued and in remaining cases final replies have not been received.

The cases were reported to Government (January 1997), their reply has not been received (January

[illegible] के [illegible] कंडिकाओं से प्रकट: [illegible] परिलक्षित होता है कि अधिकांश आपत्तिग्रस्त वाहनों पर कर अथवा अतिरिक्त कर की कम वसूली अथवा नहीं वसूली से संबंधित है [illegible] सभी [illegible] प्रतिवेदन (आई.आर.) उपलब्ध [illegible] की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा झारखंड राज्य के जिलों को छोड़कर इस राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में अबतक निबंधित सभी वैसे वाहनों की सूची प्राप्त की गई जिनके विरुद्ध कर अथवा अतिरिक्त कर बकाया है ताकि उक्त सभी कर प्रमादी वाहनों से बकाए की वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं का अनुपालन ही नहीं बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से [illegible] कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर [illegible] राज्य में [illegible] मामले [illegible] कुल 29.62 करोड़ रू० [illegible] सन्निहित है। इन सभी मामलों में संबंधित सभी पदाधिकारियों को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश भी दिया है।

[illegible] दर्ज [illegible] का अनुपालन [illegible] के अंदर पूर्ण कर [illegible] मास [illegible] प्रतिवेदन [illegible] कराने । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी।

		1998).	गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम मे कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश मे आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निबंधित कराने का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे ममलों में प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया । मुख्यालय स्तर से 544 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधन जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह में आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठकों मे उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनों स्वामियों से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पंप्रत्र-3 एवं 4 में पूरा व्योरा अंकित कर संबंधित जिलों को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों में नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	
	5.7	**Non-realisation of full arrear dues/non-acceptance of cases under certificate cases** The Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994, envisages that arrears of tax payable in respect of a motor vehicle is recoverable as arrears of land revenue According to the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914, Certificate Officer on receipt of written requisition in the prescribed form from Requiring Officer (District Transport Officer) and after being satisfied that the demand is recoverable shall cause certificate to be filed in his office. This Act also empowers the Certificate Officer to cancel such certificates if he finds that the certificate holder (District Transport Officer) is not reasonably diligent in pursuing the cases. As per instructions of the Board of Revenue, the Requiring Officer and Certificate Officer are jointly responsible for timely disposal of certificate cases and are bound	लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन की उपर्युक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन की आपत्ति कंडिकाएँ मुख्यत: करों की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है बकाए कर की वसूली के बिना चालू कर स्वीकार करना संबंधित पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है तथा ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी कार्यालयों से अबतक पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पदस्थापन की अवधि के आधार पर जिम्मेवारी निर्धारित करने की	गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः की अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध कराये । इसी प्रकार [illegible] पर्षद के [illegible] भी [illegible] अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

	to bring to each [illegible] notice any undue delay (a) In 5 District Transport Offices (Aurangabad, [illegible], Chaibasa and Goalganj) it was noticed (between November 199[illegible] and January 1997) that arrears of taxes pertaining to the period between January [illegible] and March 1996 were requisitioned by the Requiring Officers against 30 vehicle owners in their respective certificate offices during the period between 199[illegible] and 1995-96 for recovery of arrears of road tax and additional motor vehicles tax, but these cases were neither accepted [illegible] signed any reason for non acceptance by the certificate officers. The Requiring Officers also did not take any action to know the reasons for non-acceptance by the certificate officers. The Requiring Officers also did not take any action to know the reasons for non-aceptance of cases from the certificate offcers. Thus, road tax and additional motor vehicles tax amounting to Rs. 20.34 lakhs remained unrealised. (b) During the course of audit of District Transport office, Daltonganj in july 1996, it was noticed that 53 certificate cases involving Rs. 10.0[illegible] lakhs were shown to have been disposed off till 199[illegible]-96. Scrutiny of records, however, revealed that a sum of Rs. 5.3[illegible] lakhs only was realized and entire 53 cases were shown as settled without realizing the balance amount of Rs. 4.74 lakhs. On this being pointed out (between july 1996 January 1997), The District Transport Officer, Daltonganj stated (September 1997) that one case involving tax effect of Rs. 0.10 lakh was withdrawn in pursuance of order passed by the Hon'ble Patna High Court, Ranchi Bench, Progress of recovery in other cases has not been reported (January 1998) The cases were reported to Government in April 1997, their reply has not been received (January 1998)	[illegible] निर्देश दिया गया है कि [illegible] [illegible] स्पष्ट किया [illegible] राज्य [illegible] परिवहन कार्यालय [illegible] अपेक्षित [illegible] वाहन [illegible] की [illegible] से अबाधित मामलों में [illegible] तैयार कर, मुख्यालय स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण करते हुए वसूली की कार्रवाई, नीलामपत्र [illegible], अथवा यथा [illegible] अधिनियम [illegible] की कार्रवाई की गई है।	
5.8	**Non- realization of tax due to re-registration/shifting of vehicles to other State/cancellation of registration** According to executive instructions issued by the State Transport Commissioner, Bihar in August 1981, the registration mark of public service vehicles (now transport vehicle) can be changed unless the original registration mark is vehicles Act, 1988, cancellation of the certificate of registration is done where the vehicle (i) has been destroyed, of (ii) has been rendered permanently incapable of use or (iii) has been stolen and not recovered or is otherwise not traceable, or (iv) its use will constitute a danger to public safety According t executive instruction issued be the State Transport Commissioner in June 1981, realization of arrears of tax is a precondition at the time of making any entry in the Registration Register/Certificate of Registration. (a) During the course of audit of the District Transport Office, Patna in July 1996, it was noticed that one vehicle did not pay taxes from April 1983, onward	इस कडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलो के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलो के संबंध मे अब झारखंड के अधिकारियो द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जाती है। वाहनो स्वामियो द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनो का प्रत्यर्पण दिखा कर करो का भुगतान नही करना और वास्तव मे वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिको के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है। इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वे अब	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलो के संबंध मे [illegible] की गई कार्रवाई से [illegible] [illegible] के अन्दर अवगत करायें।

After eleven years in 1994, the vehicle came in the same office realizing the tax from April 1994 to September 1996. The vehicle owner neither obtained no objection certificate' (N.O.C.) while going to Nagaland nor produced the same at the time of re-registration. The vehicle did bot pay tax in Nagaland during the above period. Thus, irregular assignment of two different registration marks to the same vehicle the owner evaded payment of tax amounting to Rs. 89,681 (between April 1983 and December 1993).

The matter was reported to the department (October 1996) and to the Government in April 1997, their replies have not been received (January 1998).

(b) In the District Transport Office, Ranchi, it was noticed (September 1996) that in respect of 5 transport vehicles, registration marks were cancelled recommendation of the Motor Vehicles Inspector that the vehicles were totally damaged an not road worthy during the period between June 1994 and September 1994. Scrutiny o records. however. revealed that vehicles having same engine and chassis number and declared once not road worthy were re-registered in August 1996 and also assigned new registration marks which was irregular. Thus by canceling the registration marks and re-registering the same vehicles. taxes amounting to Rs. 1.24 lakhs remained un-realised during the period between September 1994 and August 1996.

On this being pointed out (September 1996), the District Transport Officer, Ranchi stated (September 1996) that suitable action was being taken for realization of taxes.

The cases were reported to Government in April 1997. then reply has bot been received (January 1998).

(c) During the course of audit of two District Transport Offices (Muzaffarpur and Ranchi), it was noticed between September and December 1996 the certificates of registration in respect of two vehicles were cancelled by the registering authorities during the period between November 1993 and March 1994 without realisisng the taxes due against the vehicles amounting to Rs. 1.09 lakhs.

This cases were reported to Government in April 1997, their reply has not been received (January 1998).

1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों में वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलों की समीक्षा करें और जहाँ भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन में आया हो अथवा

नहीं, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत करायें ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों का विभागीय पत्रांक 566 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्यर्पण के ऐसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें ।

उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलों में कर्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु सम्पूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है।

जहाँ तक वैसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करो का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,504 मामलों में शामिल न हो ।

वस्तुत: बिहार एवं उडिसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 मे कुछ वैधानिक प्रावधान ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद में भी प्रत्यर्पण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एवं उडिसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमें वाहनों का प्रत्यर्पण तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्यर्पण विधिवत किया जाय । राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के मान्य रहने की स्थिति मे ही वाहन के प्रत्यर्पण का आवेदन

		विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रत्यर्पण की अवधि के लिए करों में छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियों की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।	
5.10	Short realization of revenue due to misclassification of vehicle Under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, a vehicle owned by a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students or staff of the, educational institution in connection with any of its activities, shall be treated as omnibus and shall be taxed accordingly. Under the said Act, a tractor means a motor vehicle which is not in itself constructed to carry any load whereas a semi-trailer means a trailer drawn by a motor vehicle (tractor) and so constructed that a part of it is super-imposed on and a part of its weight is borne by the drawing vehicle as defined in the Act. Further, under the provisions of the Act articulated vehicle means a motor vehicle attached with a semi-trailer The rates of taxes are higher for semi-trailers than tractor-trailers. (a) During the course of audit of 2 District Transport Offices (Daltonganj and Godda) between June and July 1996, it was noticed that 3 transport vehicles were not registered in the name of college, school or any educational institution, yet were treated as omnibus and road tax and additional motor vehicles tax were realized at lower retes, which resulted in short realization of tax amounting to Rs. 3.04 lakhs (between January 1988 and October 1996). (b) During the course of audit of two District Transport Offices (Bokaro and Dhanbad) between july and August 1996, it was noticed that 12 motor vehicles (tractor-semi-trailers) misclassififed at the time of registration as tractor traler combination The misclassification led to short realization of tax amounting to Rs. 1.50 lakhs during the period falling between January 1996 and June 1996. On this being pointed out (between June and August 1996), the District Transport Officer, Dhanbda stated (September 1997) that in respect of 2 vehicles certificate cases were filed. In other taxes, the concerned District Transport Officers stated that demand notices would be issued.	तदैव	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध में विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

		The cases were reported to Government in February 1997, their reply has not been received (January 1998)		
	5.11	**Evasion of tax by producing false "No Objection Certificates"** According to the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 , If a vehicle owner changes his place of business on residence and his new place of business or residence falls within the jurisdiction other taxing officer, he can either continue to pay tax to the original taxing officer on start the payment of tax to other taxing officer in whose jurisdiction his new place of business or residence falls. I new taxing officer shall not accept the tax until the owner presents before him a "No Objection Certificate" (N.O.C.) from the previous taxing officer in the manner and form prescribed. During the course of audit of records of 3 District Transport Offices (Hazaribagh, Jamshedpur and Ranchi), it was noticed between August and October 1996 that 6 N.O.Cs. issued by the D.T.Os. (Dumka, Rohtas and Saharsa) were take This resulted in non-realisation of tax of Rs. 2.22 lakhs for the period from January 1988 to March 1996. On this being pointed out (August and October 1996), the department stated that action was being taken to realize the amount. The cases were reported to Government in February 1997, then reply has not been received (January 1998).	यह आपत्ति वैसे जिलो से संबंधित है जो अब झारखंड राज्य में पड़ते है, अतएव इन पर झारखंड के अधिकारियों के स्तर से समुचित कार्रवाई की जानी है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति [illegible] कंडिका को उत्तर[illegible] बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।
	5.12	**Realisation of short tax due to incorrect determination of registered laden weight/seating capacities** As per instruction issued by the State Transport Commissioner, with effect from April 1983, gross laden weight as certified by the manufacturer is taken as R.L.W. of the vehicle for realisation of tax. The seating capacity of a public service motor vehicle is to be fixed as per wheel base of the vehicle and as specified under the Bihar Motor Vehicles Rules, 1940. During the course of audit of 10 District Transport offices (Bhagalpur, Deoghar, Hazaribagh, Jamshedpur, Madhubani, Madhepura, Patna, Sahebganj, Samastipur and Sitamarhi). It was noticed that R.L.W. /Seating capacity in respect of 28 motor vehicles were not determined as per instruction/****** resulting in short realization of road tax and additional motor vehicles tax amounting to Rs. 2.93 lakhs. On this being pointed to Government in January 1997, their reply has not been received (January 1998)	बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 मे लोक सवारी गाड़ियो मे बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन के व्हील बेस के आधार पर करने के स्पष्ट प्रावधान के अभाव मे कई जिला परिवहन कार्यालयों में बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन स्वामी द्वारा समर्पित घोषण पत्र एवं मोटर यान निरीक्षक के प्रतिवेदन पर करने के दृष्टांत सामने आए है । वस्तुत: ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा बसो मे बैठने की सीटो को व्यवसायिक हित एवं प्रतिस्पर्धा मे अधिक आरामदायक बस बनाने, टुरिस्ट परमिट प्राप्त करने आदि के दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया तथा तद्नुरूप घोषणा पत्र देने एवं मोटर यान निरीक्षक द्वारा भौतिक निरीक्षण के उपरान्त बैठान क्षमता निर्धारित करने पर निबंधन किया गया है। बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2002 मे वाहन के व्हील बेस के आधार पर बैठान क्षमता मानते हुए कर एवं अतिरिक्त कर वसूल करने का	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ मे निष्पादित करती है।

		प्रावधान किया गया है। [illegible] कोई वाहन स्वामी अपने व्यवसायिक हित [illegible] प्रतिस्पर्धा में अधिक [illegible] बनाना चाहता है तथा [illegible] अधिक आरामदायक [illegible] की व्यवस्था करता है तो [illegible] आधार पर निर्धारित बैठान [illegible] अनुरुप ही कर एवं अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। इस स्पष्ट [illegible] मे किसी बस मे [illegible] टैक्स व्हील बेस के [illegible] सीटो की संख्या पर ही देना होगा। पूर्व में भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता के कारण हुई राजस्व की क्षति हेतु संबंधित मोटरयान निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे बस स्वामियों से व्हील बेस के आधार पर बकाए कर की वसूली हेतु उपर्युक्त कण्डिका के स्पष्टीकरण में वर्णित कार्रवाई की गई है।	
5.13	Non-realisation of taxes from vehicles entering Bihar under bilateral agreements Under bilateral agreements entered into by the State of Bihar with certain other States/Union Territories, on all taxes are required to be paid by bank drafts With effect from 1st April 1982, under the provisions of the Bihar and Orissa Motor Vehicles Taxation Act, 1930 and the Rules made thereunder, additional motor vehicles tax is also loveable ******public service motor vehicles (Transport vehicles). Scrutiny of the records of State Transport Authority, Bihar revealed that 3 vehicles registered in three states (Madhya Pradesh, Orissa and Wesh Bengal) entered this stated during the period between Aprit 1996 and March 1997 The road tax and additional tax leviable amounting to Rs. 3.17 lakha were not realized in respect of those vehicles for the periods between April 1996 and March 1997. On this being pointed out in March 1997, the department stated that the matter would be examined and demand notices would be sent accordingly to concerned permit holder/authority of the concerned State for realization of taxes due. The cases were reported to Government in April 1997 their reply has not been received (January 1998).	परमिट निर्गत करनेवाले [illegible] को यह निर्देश रहने पर भी कि [illegible] स्थायी अथवा अस्थायी [illegible] करते समय इस राज्य के देय कर एवं विलंब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट वाहन स्वामी से प्राप्त करें, [illegible] दृष्टांत सामने आए हे जिनमे यह पाया गया है कि विलम्ब से इस राज्य का देय कर का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते समय विलंब शुल्क लिया [illegible] है। ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारों को विलंब शुल्क के क्रम मे यदि ऐसे दृष्टांत सामने आते है तो मोटर वाहन अधिनियम की [illegible] धारा के अन्तर्गत परमिट को अमान्य मानते हुए अर्थदंड की भी वसूली की जाती है तो विलंब [illegible] मे कई गुणा अधिक होती है। अन्तर्राज्यीय कर/ शुल्क की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर [illegible] परिवहन विकास परिषद की बैठको में भी ऐसी चर्चा हुई तथा जोनल किलयरिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार [illegible] रहा है [illegible] सभी राज्यो को देय कर [illegible] [illegible] की राशि की शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही मे कुछ बैंको से ई-बैंकिंग के माध्यम से	[illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] है।

			विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारो से इस राजय को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता मे हस्तान्तरित करने की व्यवस्था के संबंध मे प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलंब से प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती है।	

वर्ष 1997-98
पृ० 14 से 34

(61)

5.1	**लेखापरीक्षा के परिणाम-** वर्ष 1997-98 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 6332 मामलों में 7047.32 लाख रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदंड, जुर्माना आदि के नही लगाये जाने और कम लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-	विभिन्न वर्षो के लेखा परीक्षा के परिणाम मुख्य तौर से इन्हीं बिन्दुओं पर केन्द्रीत है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नहीं लिये गये है अथवा कम दरों पर लिये गये है । इस प्रकार की त्रुटियों की पुनर्रावृति न हो इसके लिये प्रतिरोधानत्मक उपाय एवं जो त्रुटियाँ प्रकाश मे आई है उनके परिमार्जन के उपाय दोनों पर ही ध्यान केन्द्रीत किया गया है । चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान की गई नमूना जाच मे वास्तविक त्रुटियों का कुछ अंश ही उजागर हो सका है, तथा प्रत्येक मामले में कोई न कोई वाहन अवश्य सन्निहित है, इस कारण यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कंडिका मे वर्णित मामलो का सृजन जिन आई आर पाराओं से हो रहा है, उनका एक डाटा बेस बना दिया जाय तथा उसे यथा संभव संपूर्ण एवं अद्यतन रखने की प्रक्रिया जारी की जाय पूर्व मे दायर नीलाम पत्र वादों को छोड़ कर इस डाटा बेस में वर्णित किये जाने वाले सभी मामलों मे मुख्यालय स्तर से ही प्रश्नगत मामलों मे नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधियाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनों पर उक्त लेखापरीक्षा की तिथि को वसूलनीय राशि के साथ-साथ लेखापरीक्षा की तिथि से लेकर नीलामपत्र वाद दायर किये जाने की तिथि तक वसूलनीय राशि दोनो को जोड़ते हुए नीलापत्र वाद दायर करें तथा दायर किये गये वाद संख्या मुख्यालय को प्रेषित करें, जो कम्प्यूटर में संधारित कर ली जाय तथा उनका मौनिटरिंग समय-समय पर संभव हो सके । इस प्रक्रिया के तहत [illegible] बिहार के विभिन्न जिलों में दायर नीलामपत्र वादों की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियाँ परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है जिसमें कुल 17.92 करोड़ रु. की [illegible] के नीलामपत्र [illegible] 72 [illegible] मे दायर किये जाने की सूचना सन्निहित है । चूंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया मे लेखापरीक्षा मे पायी जाने वाली अधिकांश त्रुटियों का	विभाग द्वारा आ[illegible] के आलोक मे [illegible] गये स्पष्टीकरण एवं सुधारात्मक उपायों को समिति संतोषजनक मानते हुये इस कंडिका को बिहार के जिलों के संबंध मे निष्पादित करती है।

भविष्य मे निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है ।

भविष्य मे करों अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरें गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले मे बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निर्गत हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अवांछित कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलों को कम्पयुटरीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पांच जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर आदि की तर्ज पर सभी जिलों को एन.आई. सी. के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराये जाने हेतु राज्य योजना मद से राशि भी प्राप्त हो चुकी है । कम्प्यूटरीकरण के कार्य संपन्न हो जाने के उपरान्त मैनुअल कलकुलेशन की त्रुटियों की आशका समाप्त हो जायगी तथा कर, जुर्माना, फीस आदि न लेने अथवा कम दरों पर लेने की स्थितियाँ भी समाप्त प्राय: हो जायगी क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा ऐसी स्थिति में स्वयं ही आगे की कार्रवाई स्थगित दिया जायगा ।

उपर्युक्त उपायो के अतिरिक्त अनुवर्ती कंडिकाओं मे यथा अवश्यक स्पष्टीकरण अंकित किया गया है ।

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1	करों का नहीं लगाना तथा कम लगाया जाना	1979	496.30
2	पंजीकृत लदान भार/बैठाना क्षमता के गलत निर्धारण के फलस्वरूप कम कर लगाया जाना,	95	14.03
3	शुल्क, जुर्माना तथा अर्थदंड आरोपित नही होना	154	2.05
4	वर्ष 1997-98 में ''0041 वाहनो पर कर'' शीर्ष में जमा सरकारी राजस्व मे असंगति	5	8.378.37
5	अन्य मामले	4099	6526.57

	कुल	6332	7074.32

	वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 924 मामलों मे [illegible] 445.18 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया, जिसमें 44.64 लाख रुपये से संबंधित 188 मामले 1997-98 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों मे लेखापरीक्षा के दौरान [illegible] दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले और ''राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना'' पर समीक्षा, जिसमें 3952.58 लाख रुपये के कर-प्रभाव [illegible] थे अनुवर्ती [illegible] मे दिए गये है।		
5.2	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना		
5.2.1	**परिचय** सम्पूर्ण देश मे सड़क द्वारा माल वाहनो के सुविधापूर्वक प्रचालन को प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के प्रावधानों के अन्तर्गत सितम्बर 1975 मे राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना चलायी। राज्यों और संघीय क्षेत्रों को पूरे भारतीय सीमा क्षेत्रों या गृह राज्य सहित कम से कम चार समीपवर्ती राज्यों मे माल ढुलाई हेतु सार्वजनिक माल वाहन मालिको को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के इच्छुक परिचालकों को मोटर वाहन कर के अतिरिक्त गृह राज्य को निर्धारित प्राधिकरण शुल्क भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त वाहन प्रचालन के लिये अनुमति प्राप्त प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र को मिश्रित शुल्क भुगतान करना है। अन्य राज्याहें को देय मिश्रित शुल्क जिसका पहले ही भुगतान किया जानार अपेक्षित है, प्रारम्भ मे गृह राज्य द्वारा पदनामित प्राधिकारी के पक्ष मे भुगतेय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप मे संग्रह किया जाता है और तत्पश्चात् संबंधित राज्य को, जब और जैसे प्राप्त होता है, प्रेषित किया जाता है।	तथ्यात्मक विवरण जिसपर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है।
5.2.2	**संगठनात्मक ढाँचा-** परिवहन विभाग मे विधि एवं नियमों के परिपालन के लिये शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), बिहार उत्तरदायी है जिन्हें मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तो से सहयोग प्राप्त होता है। कर प्रबंध के दृष्टिकोण से राज्य 13 प्रक्षेत्रों ओर 47 जिलो में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन तथा प्रबंधन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियो (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राजस्व की चोरी को रोकने के लिये राज्य मे 3 जाँच चौकी और 48 प्रवर्तन दल कार्यरत है। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का निर्गमन तथा अन्य सहायक कार्य मार्च 1996 से क्षे.प.प्रा. द्वारा संपादित होते है। इसके पहले राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र राज्य परिवहन प्राधिकार (रा.प.प्रा.), बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाता था।	तथैव	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है।
5.2.3	**लेखापरीक्षा का क्षेत्र-** अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों तथा कार्यपालक निर्देशों के अनुपालन का पता लगाने के अभिप्राय से 'राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना' पर समीक्षा की गयी। अप्रैल से अगस्त 1998 की अवधि में रा.प.आ., बिहार पटना, 8 क्षे. प. प्रा., 3 जाँच चौकी और 5 दलो के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के अभिलेखों का नमूना जाँच	तथ्यात्मक विवरणी, कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है।

		की गई।		
		[illegible] (I) (क) 6 क्षे.प.प्रा. द्वारा अनुज्ञापत्र समय पर निर्गत नही किये गये 14 से 87 प्रतिशत मामलों मे 8 से 133 दिनों का विलम्ब किया गया। (ख) अन्य राज्यों को रा.प.प्रा. द्वारा 293.63 लाख रुपये क बैंक ड्राफ्ट अत्यन्त विलम्ब से प्रेषित किये। विलम्ब की अवधि 4 से 12 महीने की थी। (कंडिका 5.2.6. (I) और (ii) (ii रा.प.प्रा./8 क्षे.प.प्रा. से संबंधित 2846 मामलों मे राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के पश्चात्‌वर्ती प्राधिकरण नही किये गये, फलत: 923.70 लाख रुपये जिसमें 28.70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नही वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 68.55 लाख रुपये के बकाये का उद्‌ग्रहण किय बिना मामलो मे प्राधिकरण नही किये गये, फलत: 923.70 लाख रुपये जिसमें 28. 70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नही वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 68.55 लाख रुपये के बकाये का उद्‌ग्रहण किये बिना 776 मामलों मे प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क का उद्‌ग्रहण किया गया। (कंडिका 5.2.7.(क) और (घ)) (ii) रा. प. प्रा. /8 क्षे. प. प्रा. से संबंधित 2846 मामलों मे राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के पश्चातवर्ती प्राधिकरण नही किये गये, फलत: 923.70 लाख रुपये जिसमे 28.70 लाख रुपये बिहार के लिये थे, नही वसूले गये। 1993-94 से 1994-95 की अवधि के लिये 98.55 लाख रुपये के बकाये का उद्‌ग्रहण किये बिना 776 मामलों मे प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क का उद्‌ग्रहण किया गया। (कंडिका 5.2.7. (क) और (घ)) (iii) एक जौच चौकी 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षको द्वारा 14.22 लाख रुपये बैंक मे जमा नही किये गये। एक जौच चौकी द्वारा बैंक में जमा किये गये 45.35 लाख रुपये का सत्यापन आवश्यक कागजातों के अभाव मे नही किया जा सका। (कंडिका 5.2.8. (क) (I) और (ख) (ii)) (iv) देय मिश्रित शुल्क के त्वरित तथा सही उद्‌ग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग मे पंजी और प्रतिवेदन/ विवरणी के रुप में अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नही है। (कंडिका 5.2.9.) (V) 1978 और 1991 के बीच की अवधि से संबंधित 941. 52 लाख रुपये के 145139 कालाधित बैंक ड्राफ्ट पटना स्थित बैंको मे 1992-93 से 1997-98 के दौरान भेजे गये। विभाग ने सरकारी ठक्त राशि के जमा किये जाने की पुष्टि नही की। (कंडिका 5.2.10. (क) (ii)) (vi) राजस्व की राशि संग्रह करनेवाले पटना स्थित 25 बैंको ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में जमा राशि का आंशिक अन्तरण किया और मार्च 1998 के अंत मे बैंकों द्वारा 552.22 लाख रुपये की अतिशेष राशि रोक ली गयी। चेक के विरूद्ध बैंको द्वारा सरकारी राजस्व के नही/कम अंतरण के कारण बैंकों	परमिट निर्गत करनेवाले प्राधिकारो को यह निर्देश रहने पर भी कि अमुक दर पर स्थायी अथवा अस्थायी परमिट निर्गत करते समय इस राज्य के देय कर एवं विलंब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट वाहन स्वामी से प्राप्त करें, ऐसे दृष्टांत सामने आए है जिसमे यह पाया गया है कि विलम्ब से इस राज्य को देय कर का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते समय विलंब शुल्क लिया गया है। ऐसे मामलो मे संबंधित प्राधिकारियों को विलंब शुल्क के क्रम में यदि ऐसे दृष्टांत सामने आते है तो मोटर वाहन अधिनियम की संगत धारा के अन्तर्गत परमिट को अमान्य मानते हुए अर्थदंड की भी वसूली की जाती है तो विलंब शुल्क से कई गुणा अधिक होती है। अन्तर्राज्यीय कर/ शुल्क की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित परिवहन विकास परिषद् की बैठकों म भी ऐसी चर्चाएँ हुई है तथा जोनल क्लियरिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि की शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके । परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही मे कुछ बैंको से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राजय को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता मे हस्तान्तरित करने की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलंब से प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वत: समाप्त हो जा सकती है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ मे निष्पादित करती है।

		को अनुचित लाभ मिला। (कंडिका 5.2.10. (ख) और (ग)) (vii) 1993-94 से 1997-98 की अवधि मे भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना ने संग्रहण प्रभार के रूप में 48.34 लाख रुपये की अनियमित कटौती की। (कंडिका 5.2.11.)		
	5.2.3	अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार की प्रवृति परिवहन वाहन के रुप में किसी मोटर वाहन का उपयोग करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के अधीन रा. प. प्रा0/ क्षे.प.प्रा. द्वारा पाँच वर्षों के लिये अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है। निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात् उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापत्र मे उल्लिखित अवधि और क्षेत्र मे वाहनों के परिचालन को अधिकृत करने के लिये वार्षिक/अर्धवार्षिक प्राधिकरण प्रदान किया जाता है। राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दी गयी सुचना के अनुसार 1993-94 से 1997-98 के दौरान रा. प. प्रा0/ क्षे.प.प्रा. द्वारा निर्गरत/नवीकृति राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र एवं प्रदान प्राधिकरण की स्थिति निम्नवत् है :-	तथ्यात्मक विवरण जिसपर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है ।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं करती है।

वर्ष	निर्गत अनुज्ञापत्र की सं.	नवीकृत अनुज्ञापत्र की सं.	प्रदत्त प्राधिकार की सं.
1993-94	1411	अनुपलब्ध	16055
1994-95	1134	80	7381
1995-96	2120	439	12170
1996-97	1604	1155	10466
1997-98	अनुपलब्ध	761	7007

		रा.प.प्रा. ने नवीकरण के लिये नियत अनुज्ञापत्र / प्राधिकार तथा शुल्क की देय/उद्ग्रहित राशि से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नही करायी।		
	5.2.6	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन/ बैंक ड्राफ्ट प्रेषण में अनियमितताएँ - (i) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करने मे विलम्ब विभाग द्वारा निर्गत 1996 के निर्देशानुसार आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करना है। तथापि, 6 क्षे.प.प्रा. मे देखा गया कि 4 से 87 प्रतिशत मामलों मे 8 से 133 दिनों का विलम्ब किया गया जिनके विवरण निम्नांकित है :-	अन्तर्राज्यीय कर/ शुल्क की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित परिवहन विकास परिषद् की बैठकों मे भी ऐसी चर्चाएँ हुई है तथा जोनल क्लियरिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि की शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके । परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही मे कुछ बैंकों से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राजय को देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलंब राज्य के खाता मे हस्तान्तरित करने	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ मे निष्पादित करती है।

की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था की स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर/ शुल्क की विलंब मे प्राप्ति/ कम राशि की प्राप्ति/ स्टेल बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वत: समाप्त हो जा सकती है।

क्षे.प.प्रा. का नाम	वर्ष	निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र की सं.	विहित समय सीमा के उपरांत निर्गत अनुज्ञापत्र की सं.	विलंब के दिनों की सं.	प्रतिशत
गया	अप्रैल 1996 से मार्च 1998	93	4	13 से 40	4.3
मुजफ्फरपुर	तथैव	350	31	8 से 84	8.9
पटना	तथैव	54	47	11 से 106	87.0
पुर्णिया	तथैव	969	45	8 से 133	4.6
राँची	तथैव	137	92	15 से 86	67.1
		601	57	10 से 84	9.5

(ii) बैंक ड्राफ्ट प्रपण मे विलम्ब

फरवरी 1996 में निर्गत रा.प.आ. के निर्देशानुसार अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार निर्गत करने के एक पखवारा के अन्दर राज्यों से संबंधित मिश्रित शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज देनी है।

यह देखा गया कि 1995-96 से 1997-98 की अवधि मे रा.प.प्रा./ क्षे.प.प्रा. से अन्य राज्यों को भुगतेय 293.63 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट केवल 6 माह के लिये ही वैध होते है। 6 क्षे.प.प्रा. ने पटना स्थित बैंकों में जमा करने हेतु रा.प.प्रा. को 73.34 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट 4 से 12 महीने के विलंब से भेजा।

5.2.7 **राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण का अनवीकरण/ मिश्रित शुल्क/अर्थदंड की कम वसूली**

तदैव

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अस्थायी या विशेष अनुज्ञापत्र 5 वर्षो के लिए निर्गत करने का प्रावधान है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की वैधता एक बार मे एक वर्ष मे अधिक की नही होगी। यह प्राधिकरण एक अनवरत प्रक्रिया है [illegible] अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त नही हो जाती या अनुज्ञापत्रधारी [illegible] निर्धारित मिश्रित शुल्क अग्रिम भुगतान करता है। नियत [illegible] मिश्रित शुल्क भुगतान न करने की स्थिति में अनुज्ञापत्र [illegible] वाले प्राधिकारी को प्रति माह या उसके भाग के लिए [illegible] अर्थदंड आरोपित [illegible] मिश्रित शुल्क की राशि 3000 रुपये से [illegible] (नवम्बर 1993) [illegible]

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में परिगति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के अंकेक्षण से निष्पादित करनी है।

		(क) रा.प.प्रा./ क्षे.प.प्रा. (भागलपुर, दरभंगा, गया, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया और राँची) में मिश्रित शुल्क से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2846 मामलों में अनुज्ञापत्र की कालावधि में अक्तूबर 1993 और मार्च 1998 के बीच की अवधि के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का परवर्ती प्राधिकरण नवीकृत नही किया गया। परिणामस्वरूप 923.70 लाख रुपये क मिश्रित शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ जिसमें से 28.70 लाख रुपये गृह राज्य से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त इन मामलो में विहित दर पर अर्थदंड भी आरोप्य था। (ख) रा.प.प्रा. में देखा गया कि सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के लिये अन्य राज्यों से उद्ग्रहणीय वार्षिक या अर्धवार्षिक मिश्रित शुल्क 462 मामलो में विहित दर से कम दर पर उद्ग्रहित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 2.39 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 9. 67 लाख रुपये के मिश्रित शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। (ग) 805 मामलों में सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान नियत तिथि बीत जाने के बाद भी अन्य राज्यों के अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा बिना अर्थदंड के मिश्रित शुल्क भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप 1.70 लाख रुपये के अर्थदंड का कम उद्ग्रहण हुआ। (घ) 1993-94 और 1994-95 के बीच की अवधि के लिये बिना बकाया की वसूली किये, 776 मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क की वसूली की गयी। फलस्वरूप आरोप्य अर्थदंड के अलावा 68.55 लाख रुपये राशि के सरकारी राजस्व की हानि हुई। बकाया की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई।		
	5.2 .8	जाँच चौकियों/प्रवर्तन शाखाओं का अप्रभावी कामकाज- राज्य मे प्रवेश करनेवाले या इससे होकर गुजरनेवाले वाहनों पर आरोप्य कर, शुल्क और अर्थदंड की क्षति के राकथाम और निवारिणी के अभिप्राय से समीपवर्ती राज्यों के साथ बिहार को जोड़नेवाले अन्तर्राज्यीय मार्गो के प्रवेश बिन्दु पर राज्य सरकार ने 3 जाँच चौकियाँ (बहरागोड़ा, चिरकुण्डा और मोहनिया) सीपित की है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन जाँच चौकियों पर पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारियों/उप-निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि इन जाँच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के मालिकों द्वारा किये गये अपराधों को संधानित करें। 3 जाँच चौकियों/प्रवर्तन के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न बातें उद्घटित हुई:- (क) जाँच चौकी (i) जाँच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के विवरणों को दर्शाने वाली पंजियाँ संधारित नहीं की गयी, की गयी, जिसके कारण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र और [illegible] अनुबंधों के अधीन निर्गत अनुज्ञापत्रों पर परिचालित वाहन [illegible] संख्या का पता नहीं चल सका। अधिकांश, इन जाँच चौकि[illegible] आधारभूत अवसंरचना जैसे, [illegible] विभाजक, [illegible], वाहनों को रोकने के लिये सीमित की व्यवस्था, तौल सेतु की सीमित आदि की कमी थी।	पुर्व में राज्य में प्रवेश करने वाले प्रमुख राज मार्गों पर तदर्थ रूप से जांच चौकियों की व्यवस्था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों की सेवा प्राप्त कर की गई थी जिसके परिणाम बहुत अच्छे नही रहे । निगम द्वारा अपने कर्मियों के वापस लिये जाने के बाद अब सरकार द्वारा बी.ओ.टी. पद्धति से पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत जांच चौकी स्थापित करने की योजना की स्वीकृति दी गई है।	विभाग द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम से संतुष्ट होते हुए समिति उत्तरवर्ती बिहार एवं उसके जिलों के संदर्भ में इस कंडिका का निष्पादन करती है।

	(ii) सितम्बर 1995 से मार्च 1998 के दौरान जुर्माना के रुप में उगाहित 5.84 लाख रुपये की राशि जमा नही की गयी तथा अगस्त से दिसम्बर 1994 की अवधि में 45.35 लाख रुपये का संग्रहण, जिसे बैंक में जमा किया हुआ गया, का सत्यापन इसलिए नही किया जा सका क्योंकि चिरकुंडा जाँच चौकी द्वारा जमा संबंधी समर्थक कागजात उपलब्ध नही कराये गये। (iii) कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण चिरकुंडा जाँच चौकी पर सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य सम्पादन करने के लिये उपायुक्त, धनबाद ने आदेश दिया (अक्तूबर 1997) और रात में जाँच चौकी के सहज संचालन के लिए पुलिस पहरेदार तथा अवसंरचना का बंदोबस्त करने के लिये रा.प.प्रा. से अनुरोध किया, किन्तु इसके लिए रा.प.प्रा. द्वारा कोई प्रयत्न नही किया गया। तथापि, यह देखा गया कि अक्तूबर 1997 और उसके बाद प्रति वाहन राजस्व में वृद्धि हुई। (iv) उचित सुरक्षा, बीमा तथा लोहे के सन्दूक के बिना ही नकद का प्रबंधन होता था। (v) जैसा कि फरवरी 1996 में निर्गत रा.प.आ. के निर्देश के अंतर्गत अपेक्षित है, विनिर्धारक अधिकारियों के पास परिवहन प्रधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नही थे। (ख) प्रवर्तन (i) राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 1995) प्रवर्तन अधिकारियों को जाँच चौकी के कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन कार्य सम्पादन में सहायता करनी है। किंतु, यह देखा गया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा माहनिया जाँच चौकी के कर्मचारियों के कार्य सम्पादन में साप्ताहिक सहायता नही की गयी। (ii) बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गयी राशि को सरकारी खाते में अविलम्ब जमा कर देनी चाहिये। प्रवर्तन शाखा, माहनिया की विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि 37.77 लाख रुपये के राजस्व संग्रहण के विरूद्ध, 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षको द्वारा जून 1996 से मार्च 1997 के दौरान केवल 29.39 लाख रुपये ही भारतीय स्टेट बैंक, भभुआ में जमा किये गये, जिसके कारण शेष 8.38 लाख रुपये ही भारतीय स्टेट बैंक, भभुआ में जमा किये गये, जिसके कारण शेष 8.38 लाख रुपये अलेखापित रह गये। इस स्थिति में दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। इसके उत्तर में कहा गया कि मामला सत्यापन के अधीन है।		
5.2.9	**माँग, संग्रहण और अतिशेष पंजी तथा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी का संधारण नहीं होना-** केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अधीन प्राधिकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारी को वाहन और अनुज्ञापत्र संबंधी विवरण संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को प्रेषित करना है। अन्य राज्यों से देय निर्धारित शुल्क की यथा समय वसूली पर निगरानी रखने के लिये अनुज्ञापत्र का विवरण दर्शाते हुए माँग, वसूली और अतिशेष (माँ.व.अ.) पंजी का संधारण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार/ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ संघीय क्षेत्रों से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन की सूचना मिलने के बाद वाहन, अनुज्ञापत्र तथा प्राधिकार और अनुज्ञापत्रों की वैधता की अवधि का विवरण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी में अंकित करना है।	ऊपर इसका स्पष्टीकरण किया गया है। साथ ही यह कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार में यह व्यवस्था वर्ष 1995 से ही कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में परिवहन विभाग के कंप्यूटरीकरण की वृहत योजना जो बी.ओ.टी. पद्धति से लागू की जा रही है, में सभी पंजियों का स्वतः संधारण किया जाना संभव हो सकेगा।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में, समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती विकास के संदर्भ में निष्पादित करती है।

	यह देखा गया कि बिहार मे वाहनो के परिचालन के लिए अन्य राज्यो द्वारा निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों मे संबंधित विवरण दर्शाते हुए रा.प.प्रा. द्वारा मी.व.अ. पंजी का संधारण नही किया गया। इसके अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राज्य मे कितने वाहन परिचालित हुए और कितना मिश्रित शुल्क देय या तथा कितना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी भी संधारित नही की गयी जिससे अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध प्राप्त मिश्रित शुल्क के मिलान मे सुविधा होती।		
5.2.10	**अन्य राज्यो से प्राप्त बैंक ड्राफ्टो का निष्पादन** बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन-देन बिना विलम्ब किये लेखा मे लेना और लोक लेखा मे जमा करना आवश्यक है। संबंधित राज्यो से देय मिश्रित शुल्क की वसूली का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये निर्गत अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध बैंक ड्राफ्टो की प्राप्ति आदि को अंकित करते हुए बैंक ड्राफ्ट की एक पंजी का संधारण अपेक्षित है। सरकार के निर्देशों (जून और नवम्बर 1978) के अनुसार रा.प.आ. को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को राजस्व की कुल प्राप्ति चालान के माध्यम से पटना सचिवालय कोषागार में सप्ताह के अंत मे सरकार के उपयुक्त लेखाशीर्ष मे जमा करना है। इसके अतिरिक्त रा.प.आ. के आदेश (मार्च 1996) के अनुसार, अप्रैल से फरवरी की अवधि मे बैंको मे जमा राशि का भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, पटना मे अंतरण इस तरह करना है कि पूर्ववर्ती महीने से जमा राशि का संबंध है, इसे 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष मे जमा सकल राशि का अंतरण सरकार के लेखा मे उसी वित्तीय वर्ष मे हो जाय। राज्य में सभी संग्राहक बैंक शाखाओं का इसी प्रकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 4.2.4) मे प्रक्रिया मे गंभीर दोष तथा तत्संबंधी राजस्व के प्रभाव का उल्लेख किया गया था किन्तु ऐसी अनियमितताएँ अभी भी विद्यमान है जिनको नीचे दर्शाया जा रहा है :- क) प्राप्त बैंक ड्राफ्ट का लेखा (i) बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति की तिथि, प्राप्त राशि, राज्य का नाम जहाँ से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए और उनके निष्पादन की तिथि को दर्शाते हुए कोई बैंक ड्राफ्ट संबंधी कोई नियत कालिक विवरणी, प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया। इसके अभाव में, प्राप्त ड्राफ्ट की संख्या और बैंक मे वास्तविक जमा का पता नहीं चला। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति और जमा से संबंधित आंतरिक नियंत्रक तंत्र का नितान्त अभाव था। (ii) 1978 और 1991 के बीच प्राप्त मिश्रित शुल्क के कालबाधित 145139 डिमांड ड्राफ्ट, जिसमे 941.52 लाख रुपये अन्तर्ग्रस्त थे, 12 से 204 महीने के विलम्ब से 1992-93 से 1997-98 की अवधि में बैंको में जमा किये गये। अभिलेख पर ऐसा कोई सूचना उपलब्ध नही थी जिससे सरकारी खाते मे उक्त राशि के जमा होने का पता चले (जून 1998)। विभाग ने बताया कि मामले की जाँच की जायेगी। ख) संग्राही बैंक पटना मे 27 बैंक है जहाँ अन्य राज्यों/क्षे.प.प्रा. से प्राप्त मिश्रित शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाते है। 25 बैंको मे 31 मार्च 1998 को 522.22 लाख रुपये का अंत अतिशेष था।	अन्तर्राज्यीय कर/ शुल्क की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित परिवहन विकास परिषद् की बैठको मे भी ऐसी चर्चाएँ हुई है तथा जोनल क्लियरिंग जैसी व्यवस्था आरंभ करने पर भी विचार हो रहा है ताकि सभी राज्यों को देय कर एवं शुल्क की राशि की शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग द्वारा अभी हाल ही मे कुछ बैंको से ई-बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय/ राज्य परिवहन प्राधिकारों से इस राज्य का देय कर/ शुल्क की राशि संग्रहित कर अविलम्ब राज्य के खाता मे हस्तान्तरित करने की व्यवस्था के संबंध मे प्रस्ताव प्राप्त करने की पहल की गई है। यदि इस व्यवस्था को स्वीकृति मिल जाती है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य को देय कर, शुल्क की विलम्ब से प्राप्ति, कम राशि की प्राप्ति, फर्जी बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति आदि की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जा सकती है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इस कंडिका को तत्कालीन बिहार के संदर्भ मे निष्पादित करती है।

जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए राशि का भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में तत्परता से अंतरण नहीं किया गया। कुछ रोचक मामले निम्नांकित है:-

(i) **स्टेट बैंक पटियाला**, पटना ने अप्रैल 1994 से फरवरी 1997 की अवधि के दौरान कम से कम 243.66 लाख रुपये अतिशेष के रू में रखा।

(ii) मार्च 1995 से रखा गया 3 लाख रुपये का अतिशेष यूको बैंक, पटना द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को अंतरित नहीं किया गया।

(iii) मिश्रित शुल्क/कर से संबंधित 19.60 लाख रुपये क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक, जयपुरा शाखा तथा भारतीय सेन्ट्रल बैंक, बहरागोड़ा में मार्च 1998 में जमा किया जिसे भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में अंतरित नहीं किया गया (मई 1998)।

(ग) बैंक के विरूद्ध सरकारी राजस्व का अंतरण नहीं/ कम किया जाना

समय-समय पर निर्गत रा.प.आ. के निर्देशानुसार, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में किये गये जमा/अंतरण का मासिक विवरण बैंकों को रा.प.आ के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभिन्न बैंक द्वारा जमा की रखी गयी राशि के विरूद्ध संग्रहण के लिये, प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को चेक निर्गत किया जाता है। चेक निर्गत करने की प्रक्रिया एक ऐसा आंतरिक नियंत्रण तंत्र है जिसके माध्यम से रा.प.आ. व्यतिक्रमी बैंको से, उनके द्वारा जमा की रखी गयी राशि भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में अंतरित करने के लिये, आग्रह करते हैं।

बैंकों द्वारा नियमित विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके द्वारा धारित अतिशेष पर विभाग उचित नियंत्रण नहीं रखा सका। 31 मार्च 1998 को बैको द्वारा 552.22 लाख रुपये की अधिक राशि अतिशेष के रू में रखने के कारण राजकोष के खर्च पर बैंको को अनुचित वित्तीय सहायता दी गयी। कुछ रोचक मामले निम्न वर्णित है :-

(i) रा.प.आ. ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में अंतरण के लिये 22 मार्च 1997 को 300 लाख रुपये का चेक पंजाब और सिंध बैंक, पटना के लिये निर्गत किया। इस राशि का अंतरण 27 जनवरी 1998 को यानि 9 महीने बाद किया गया।

(ii) जिला परिवहन अधिकारी, पटना ने 26 मार्च 1997 को 150 लाख रुपये का चेक पंजाब नेशनल बैंक, पटना के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को निर्गत किया, जिसे 23 मार्च 1998 को यह कहकर जिला परिवहन अधिकारी को वापस कर दिया कि निधि की कमी के कारण पंजाब नेशनल बैंक ने राशि का अंतरण नहीं किया।

(घ) **भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना-**

रा.प.आ. के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना निर्धारित समय के अंतर्गत राजस्व संग्रहण सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा और इस प्रकार, अंतर्ग्रस्त 9587.51 लाख रुपये की राशि जमा करने में 14 से 32 दिनों

	का विलम्ब हुआ। एक मामला मे, जिसमें 366.55 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त थे, एक महीना से अधिक का बिलम्ब हुआ। सरकारी खाते मे तत्परता से राजस्व जमा करने संबंधी निर्देशो के अनुपालन नही होने के कारण जनवरी 1993 और मार्च 1998 के बीच की [illegible] अवधि के लिये 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2164.[illegible] लाख रुपये पर [illegible] के रूप मे 257.94 लाख रूपये के [illegible] की हानि हुई।		
5.2.11	सेवा सह संग्रहण प्रभार का गलत भुगतान- विभाग द्वारा निर्गत निर्देशो (जून और नवम्बर 1978) के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहनो का कर भुगतान राज्य मे इसके जिला मुख्यालयो मे स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओ मे 'भुगतान पर्ची' के माध्यम से किया जाता है। संबंधित बैंक भारती स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के [illegible] द्वारा जमा राशि का अंतरण अंततः सरकारी खाते मे जमा करने के लिए करते है। भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को संग्राही बैंको द्वारा अंतरित राशि पर किसी प्रकार का संग्रहण प्रभार देने का सरकार का कोई निर्देश नही है। [illegible] कर/शुल्क [illegible] के नकद संग्रह और जमा करने पर कोई भी संग्रहण प्रभार स्वीकार्य नही है। यह देखा गया कि [illegible] से 1997-98 के दौरान पटना स्थित 2[illegible] बैंको ने [illegible] से 18019.84 लाख रुपये के 1159402 ड्राफ्ट [illegible] और [illegible] जिला परिवहन अधिकारियो धनबाद, [illegible], मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना और रॉची द्वारा 31263.56 लाख रुपए [illegible] जमा किये गये, जिसे अदायगी आदेश के [illegible] से भारतीय स्टेट बैंक, पटना सचिवालय शाखा मे अंतरित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा द्वारा राशि को सरकारी [illegible] मे जमा करते समय 48.34 लाख रुपये के संग्रहण प्रभार [illegible] अनियमित कटौती की गयी। विभाग ने बताया (जून 1998) कि भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के समक्ष यह मामला लाया गया है।	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवा सह संग्रहण मद मे कटौती की गई राशि मे से वर्ष 2001-2002 मे लगभग 99 लाख रू. वापस कर दिया गया है जिसे राज कोष मे हस्तांरित कर दिया गया है।	विभाग द्वारा इस संबंध मे उठाये गये कदम से संतुष्ट होते हुए समिति उत्तरवर्ती बिहार एवं उसके जिलो के संदर्भ मे इस कंडिका का निष्पादन करती है।
5.2.12	अन्य रोचक प्रकरण- (क) विभागीय आँकड़ो का समाधान नही किया जाना- बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार नियंत्रण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि सरकारी को देय सभी राशि नियमित और अविलम्ब निर्धारित तथा संग्रहित हुई और उसे सरकारी खाते मे जमा कर दिया गया। सरकारी खाते मे जमा की गयी राशि उचित तौर पर उपयुक्त लेखे मे ली गई है, को सुनिश्चित करने के लिये विभागीय आँकड़ो तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय मे दर्ज आँकड़ो के बीच नियमित रूप से समाधान करना है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना से ज्ञात हुआ कि बिहार सरकार के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के वित्त लेखे मे दर्शाये गये आँकड़ो और विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिये गये आँकड़ो मे भारी अन्तर था जिसका विवरण निम्न है:-	कर संग्रह के लक्ष्य और वास्तविक वसूली मे विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण बिना वाहनों की संख्या पर वैज्ञानिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किये मात्र इन्क्रीमेन्टल पद्धति से अनुमान के आधार पर लक्ष्य निर्धारन करना रहा है। कंम्प्यूटर नही होने के कारण कर अपवंचना करने वाले व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध सघन प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करने मे समस्याएँ उत्पन्न होती रही है। चूँकि प्रारंभ से ही निबंधित वाहनों के निबंधन रद्द करने की परंपरा नही रही है। अतः 40-50 वर्ष पुराने वाहन भी निबंधित वाहनों के रूप मे दर्शाए जाते रहे है जबकि वे अस्तित्व मे नही भी हो सकते है। संपूर्ण भारत वर्ष मे कुल निबंधित वाहनों का	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलो के संबंध मे विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये।

50

लगभग 25 प्रतिशत गैर परिचालित वाहन माने जा सकते हैं फिर भी इस प्रतिशत से अधिक कर नहीं देने वाले वाहनों की धरपकड़ प्रवर्तन तंत्र द्वारा उनकी परिचालित होते समय ही संभव है। पूर्व में ऐसे बकायादार वाहनों के स्वामियों के पते से जब पत्र भेजे गये थे तो उनमें से अनेकानेक पत्र अपूर्ण पते रहने के कारण वापस आ गये थे जिस कारण उनके वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकियाँ भी दर्ज कराई गई हैं। अब कर प्रमादी वाहनों का परिचालन के समय ही पकड़ने हेतु रियल टाइम व्हीकील ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिसे बी.ओ.टी.आधार पर संपन्न कराने हेतु मंत्रिपरिषद की सैधांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस पद्धति के लागू होने के उपरान्त आशा की जाती है कि कर प्रमादी परिचालित होने वाले वाहनों का प्रतिशत नगण्य रह जायगा।

वर्ष	विभागीय आंकडे	वित्त लेखे के अनुसार आंकडे	अंतर
	लाख	रूपये	में
	1993-94	10265.80	- 3225.08
	1943-95	15382.58	599.13
	1953-96	15779.63	- 801.96
	1996-97	16083.54	- 1486.12
	[illegible]-98	17407.5?	- 999.08
	कुल	74919.06	621?.??

किन्तु अन्तर के समाधान के लिये विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने बताया (जून 1998) कि अन्तर के समाधान का कार्य किसी जवाबदेह अधिकारी को सुपुर्द किया जायगा।

(ख) द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1998 और बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के अनुसार परस्पर समझौते के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र से भिन्न अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष के लिये प्रभावी होगा और मूल अनुज्ञापत्र की वैधता के समान ही प्रतिहस्ताक्षर बिना नवीकरण के प्रभावी रहेगा।

यह देखा गया कि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने 1993-94 से 1997-98 (जून 1998 तक) के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए क्रमशः 46,49 और 64 अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया। कुल 159 प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों में से 29 मालिकों ने अक्तूबर 1996 से जून 1998 की अवधि के लिये अपेक्षित कर का भुगतान नहीं किया यद्यपि उनके अनुज्ञापत्रों की वैधता समाप्त नहीं हुई थी

इन बिन्दुओं पर विभाग/ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया (अगस्त 1998), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.3 **अभ्यर्पित कागजातों की अस्वीकृति पर कर का अनुद्ग्रहण/ कर से छूट के मामले तथा छः महीने बाद अभ्यर्पण की स्वीकृति-**

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अधीन कोई ऐसा वाहन मालिक जो किसी निश्चित अवधि के लिये यदि अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे करारोपण अधिकारी को चालू पंजीयन प्रमाणपत्र योग्यता प्रमाणपत्र तथा कर प्रतीक और विहित अन्य सभी विवरण के साथ वाहन के अनुपयोग की अवधि और वाहन के रखे जाने के स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए, इस आशय का विहित प्रपत्र में सम्यक हस्ताक्षरित और सत्यापित परिवचन देना है तथा उक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, और वाहन के रखे जाने के स्थान मे परिवर्तन, यदि कोई हो, की अग्रिम सूचना देते हुए संबंधित करारोपण अधिकारी को समय-समय पर आगे भी परिवचन देना है तथापि ऐसा कोई परिवचन एक बार मे छः महीने से अधिक के लिए नहीं होगा। वाहन के अनुपयोग की अवधि के लिये वह कर भुगतान से छूट का अधिकारी है। परिवचन मे उल्लिखित अवधि के दौरान यदि वाहन चलाते हुए या अन्य स्थान पर रखा हुआ पाया गया तो यह माना जायगा कि इस पूरी अवधि मे बिना कर भुगतान के पश्चात् यदि उस वाहन का उपयोग बिहार मे लगातार कम से कम एक कैलेण्डर महीने तक नहीं हुआ है तो सक्षम अधिकारी मालिक को कर के बकाया भुगतान से छूट दे सकता है। कर से छूट का आवेदन अस्वीकृत होने पर अर्थदंड के साथ बकाया कर वसूली के लिये तत्काल कार्रवाई की जानी है।

(क) [illegible] जिला परिवहन कार्यालयों (धनबाद, पूर्णिया और राँची) में देखा गया (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि 27 वाहन मालिकों ने अपने वाहनों के कागजात यद्यपि अभ्यर्पित किये (जून 1981 और नवम्बर 1994 के बीच), किंतु संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने विभिन्न अवधि में (जून 1995 और अगस्त 1997 के बीच) इन्हें इस आधार पर अस्वीकार/रद्द कर दिया कि 23 वाहन निर्धारित स्थान पर नहीं पाये गये तथा अन्य मामलों मे अभ्यर्पण की अवधि विस्तार के लिये आवेदन नहीं दिये गये। इस प्रकार 10.30 लाख रूपये राशि के पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर अक्तूबर 1997 तक नहीं वसूले गये। बकाये की वसूली के लिये जिला परिवहन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

(ख) [illegible] जिला परिवहन कार्यालयों (बिहारशरीफ, डाल्टेनगंज, देवघर, [illegible] दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और सासाराम [illegible] अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) कि अगस्त 1992 और मई 1997 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बकाया कर से छूट के आवेदन को अस्वीकार करने के बावजूद 33 वाहनों के [illegible] 1980 और अक्तूबर 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर [illegible] 18.89 लाख रूपये राशि के कर अनुद्गृहीत रहा।

(ग) [illegible] जिला परिवहन कार्यालयों (मधुबनी, पटना और पूर्णिया) में [illegible] (जुलाई और नवम्बर 1997 के मध्य) कि [illegible] की अवधि के बाद की [illegible] वाहन मालिकों ने कोई नया परिवचन [illegible] नहीं [illegible] परिणामस्वरूप अधिनियम के अधीन [illegible] के अलावा [illegible] 1990 और [illegible] 1997 के [illegible]

[illegible] अप्रैल और [illegible] 1997

इस कंडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलो के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलो के संबंध में अब झारखंड के अधिकारियो द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है।

वाहनों स्वामियों द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनों का प्रत्यर्पण दिखा कर करों का भुगतान नहीं करना और वास्तव में वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिको के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों मे वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलों को समीक्षा करें और जहां भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित हो अथवा

नहीं, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत कराये ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियो को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्यर्पण के वैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें ।

इसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलों को कार्यशीलापन किया गया है उनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है।

[illegible] वाहन स्वामियों का

उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलो के संबंध मे विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

	के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियो ने कहा कि 45 मामलो मे छानबीन की जायेगी, 22 मामलों मे माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा शेष मामलो के उत्तर नही दिये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नही हए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और जनवरी 1998 के बीच) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करो का भुगतान नहीं किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलों मे शामिल न हो । वस्तुतः बिहार एवं उडिसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 मे कुछ वैधानिक प्रावधान एसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियो द्वारा बाद मे भी प्रत्यर्पण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एव उडसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमे वाहनो का प्रत्यर्पण तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्यर्पण विधिवत किया जाय । राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातो के मान्य रहने की स्थिति मे ही वाहन के प्रत्यर्पण का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रत्यर्पण की अवधि के लिए करो मे छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु विनीय शक्तियों की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एव मुख्यालय मे राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस अलोक मे भविष्य मे इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है	
5.4	वाहनो के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व का कम उद्ग्रहण होना- मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का वाहन, जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियो या कर्मचारियो के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया-कलाप के लिये होता है, ओम्नीबस वाहन माना जाता है और तदनुकुल कर का आरोपण होता है। जुलाई 1994 मे निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उन संस्थाओ को नही मिलेगी जिन शैक्षणिक संस्थाओं को बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नही दी गयी है। 10 जिला परिवहन कार्यालयो (बिहारशरीफ, बोकारो, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, हजारीबाग, हाजीपुर (वैशाली), पटना और राँची।) मे देखा गया (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) कि 43	इन आंकड़ो की सहज समीक्षा की गई है और वर्ष 2000-200 तक अंतर की राशि जोड़ कर 174 करोड़ रू. तक पहुँच गई थी जिसमे से 52 करोड़ रू. वर्ष 2000-2001 मे हा विभिन्न बैंको मे जांच कर सरकारी शीर्ष 0041 मे भारतीय स्टेट बैंक, पटना सचिवालय के माध्यम से जमा कराई गई थी । शेष 122 करोड़ रू. की राशि के संबंध मे लेखा मिलान एवं जांच कार्य अभी भी जारी है तथा अंतर की राशि घटकर लगभग 180 करोड़ रू. रह गई है। वित्त विभाग से 20 अंकेक्षकों की	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध मे विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये।

	परिवहन वाहन, जिनके लिये यद्यपि जनवरी 1989 से दिसम्बर 2005 तक के कर का भुगतान किया गया था तथा जो बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्य किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम से निबंधित नही थे, को 'ऑम्नीबस' माना गया और पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर कम दर पर उद्ग्रहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 23.41 लाख रुपये राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने बताया कि 21 मामलों में जाँच की जायेगी, 7 मामलों मे माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे, 2 मामलों मे संबंधित संस्था से जानकारी ली जायेगी तथा 10 मामालो मे तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। शेष 3 मामलों मे कोई उत्तर नही दिया गया। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	सेवाओं की भी अभियाचना की गई है ताकि शेष राशि के संबध में भी स्थिति स्पष्ट हो । भविष्य मे इस प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो इस हेतु प्रक्रिया को संशोधित करते हुए प्रत्येक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की वसूली अपने जिला कोषागार में ही जमा करा कर कोषागार चलान के साथ मासिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्ष 1998 से यह सुविधा भी समाप्त कर दी गयी है और अब किसी भी सैक्षनिक संस्था को कर देने की छूट नही दी जा रही है, इस प्रकार की आपत्तियाँ न हो ऐसा आशा की जाती है।	
5.5	**कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी-** समय-समय पर यथा संशोधित बिहार और उड़ीसा मोटर करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, उस वर्ष या तिमाही, जैसा भी हो, के आरंभ मे 15 दिनो के अंदर भुगतेय है। 4 जिला परिवहन कार्यालयों (धनबाद, देवघर, गया और हजारीबाग) मे देखा गया (अप्रैल और अक्तूबर 1997 के बीच) कि 60 परिवहन वाहन मालिको ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया (जनवरी 1989 और सितम्बर 1997 के बीच) तथा परिवर्तित पते के संबंध मे कोइ सुचना अभिलेखित नही थी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1989 से सितम्बर 1997 की अवधि से संबंधित 21.36 लाख रूप्ये के कर की वसूली नही की गयी। इसे बताये जाने पर (अप्रैल और अक्तूबर 1997 के बीच) संबंधित प्राधिकारियो ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)। इन मामलों से सरकार को जनवरी 1998 मे अवगत कराया गया, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	राज्य विभाजन के उपरान्त इस राज्य मे अबतक निबंधित सभी वाहनो मे से जिनके विरूद्ध किसी प्रकार के कर अथवा शुल्क का बकाया है, मुख्यालय स्तर पर कम्पयूटरीकृत डाटा-बेस तैयार किया गया है। मुख्यालय स्तर से मांग नोटिस भी दिए गए है तथा मांग नोटिस के फलाफल के आधार पर यथा आवश्यक नीलाम पत्र वाद दायर करने/ प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई भी की गई है। उक्त कृत कार्रवाई का विस्तृत विवरण उपर्युक्त कंडिका में दिया गया है। मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठकों में भी कर प्रमार्दी वाहनों की अद्यतन सूची, मांग नोटिस निर्गत करने की स्थिति, नीलामपत्र वाद दर्ज करने एंव निष्पादन की स्थिति, प्राथमिकी दायर करने की प्रगति आदि के आधार पर यथोचित निर्देश दिए जाते है । परिणामस्वरूप केन्द्रीय रूप से कर संग्रह एवं बकाए की वसूली पर प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त नियंत्रण रखा जा रहा है। इस कंडिका मे आपत्तिग्रस्त मामलों मे भी उपर्युक्त कंडिका के अनुरूप कार्रवाई की गई है ।	**विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।**
5.6	बकाया देय किस्तों का उद्ग्रहण नही होना राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा जनवरी 1984, अगस्त 1985,	जिला पुनर्गठन के उपरान्त भी	विभागीय स्पष्टीकरण के

	जून 1988, नवम्बर 1991 और सितम्बर 1992 में निर्गत कार्यपालक निर्देशों के अनुसार वर्तमान कर के साथ बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर प्राधिकारी द्वारा नियत किस्तों में उद्ग्रहणीय थे जिसमें चूक होने पर बकाया की समग्र राशि का उद्ग्रहण अर्थदंड सहित एकमुश्त किया जाना था। 11 जिला परिवहन कार्यालयों बिहारशरीफ (नालन्दा, बोकारो, धनबाद, दुमका, डाल्टेनगंज, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, पटना, राँची और सासाराम (रोहतास)) में देखा गया (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच) कि 32 परिवहन वाहन मालिकों को वर्तमान तिमाही कर के साथ बकाये कर की एक तिहाई एकमुश्त भुगतान करने पर जनवरी 1989 से मई 1997 की अवधि के लिये बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गयी। तथापि, यह अवलोकित हुआ कि 8 मामलों में परवर्ती एक भी किस्तों का उद्ग्रहण नहीं हुआ और 24 मामलों में केवल कुछ ही किस्त उद्ग्रहित हुए। 12.53 लाख रुपये राशि के शेष किस्तों के उद्ग्रहण के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच), जिला परिवहन अधिकारी, हजारीबाग ने कहा (जुलाई 1998) कि दो में से एक मामला में कुल 0.16 लाख रुपये की वसूली हो गयी है तथा अन्य संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवंबर 1997 के बीच) कि 23 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा एक मामला में जाँचपरांत कार्रवाई की जायेगी। 7 मामलों में उत्तर नहीं गये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त हुए है (अक्टूबर 1998)।	अधिकांश पुराने जिला ही परिवहन जिला घोषित थे। चरणबद्ध रूप में नए जिलों को परिवहन जिला घोषित किए जाने के उपरान्त भी नए जिलों में यथोचित आधारभूत संरचना के निर्माण, पदों की स्वीकृति आदि में भी समय लगा । परिणामस्वरूप नए घोषित परिवहन जिलों में अभिलेखों का रख-रखाव स्थानीय समाहरणालय द्वारा किए जाने के कारण विभिन्न पंजियों का यथोचित संधारण नहीं होने के दृष्टांत सामने आए है । वर्तमान में राज्य के सभी जिले, अरवल को छोड़कर, अब परिवहन जिला घोषित हो गए है तथा सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सहयोगी कर्मियों के पद स्वीकृत हो गए है। साथ ही अधिकांश नए एवं पुराने जिलों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना स्वीकृत हो गई है। अतएव भविष्य में अभिलेखों के रख रखाव एवं संधारण तथा निवास अथवा व्यवसाय के स्थान परिवर्तन के कारण अभिलेखों के अद्यतीकरण में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक अभिलेखों के अद्यतन संधारण नहीं होने के कारण कम कर की वसूली से संबंधित मामलों का प्रश्न है, जैसा कि उपर्युक्त कंडिका के स्पष्टीकरण में कहा गया है अबतक राज्य में निबंधित सभी वाहनों में से जिनके विरूद्ध किसी प्रकार के कर/ शुल्क का बकाया है की वसूली/ नीलामपत्र वाद दायर करने/ प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई की गई है।	आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।
5.7	**वाहनों को अधिकार में लेने की तिथि से कर का नहीं लगाया जाना-** केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार जिस व्यक्ति ने केन्द्रीय/राज्य सरकार की ओर से संचालित नीलामी में कोई वाहन प्राप्त किया या खरीदा, उसे वाहन को अधिकार में लेने के तीस दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को उचित शुल्क सहित आवेदन देना है। इसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार पंजीकृत वाहन के प्रत्येक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को, अधिनियम की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दर पर, वार्षिक या तिमाही पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है। छः जिला परिवहन कार्यालयों (बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पटना और वैशाली)। की लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल और सितम्बर 1997 के बीच) यह देखा गया कि दिसंबर 1978 और	करारोपण अधिनियम के तहत प्रत्येक मोटर वाहन जो राज्य में परिचालित हो अथवा परिचालन हेतु रखा गया हो को मार्ग-कर का भुगतान करना है। बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 में भी इसी आशय का प्रावधान था। ट्रक/ बस के चेसिस पर बॉडी बनाने की अधिकतम अवधि तीन माह मानते हुए उक्त अवधि में अस्थायी निबंधन का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में किया गया था । अस्थायी निबंधन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्थायी निबंधन विलंब शुल्क के साथ करने का प्रावधान उक्त अधिनियम में नहीं है मोटर वाहन अधिनियम, 1988	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।

		फरवरी 1996 की मध्यावधि मे नीलामी द्वारा प्राप्त 31 मिलिटरी निष्पादन वाहन के मालिको ने मार्च 1995 और मार्च 1997 के बीच नये पंजीयन चिन्ह आबंटित करने के लिए आवेदन दिया। इस तरह जनवरी 1989 और फरवरी 1997 के बीच की अवधि मे वाहनों के अधिकार मे लेने की तिथि से कर के नही लगाये जाने से 12.07 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। इसे बताये जाने पर (अप्रैल और सितंबर 1997 के बीच), जिलापरिवहन अधिकारियो ने कहा कि 16 मामलो की जाँच की जायेगी और तदनुकूल कार्रवाई की जायेगी, 11 मामलो मे माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा 4 मामलों मे नीलामकर्त्ता को की गयी नीलामी की पुष्टि के लिये लिखा गया है। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)	एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम मे यह प्रावधान कर दिया गया है । अतः किसी परिस्थितिवश यदि वाहन स्वामी द्वारा अस्थायी निबंधन की अवधि मे ही स्थायी निबंधन नही कराया जा सका हो तो उक्त वाहन स्वामी अन्तराल की अवधि के लिए कर भुगतान करने से इन्कार भी कर सकता है क्योंकि उक्त अन्तराल की अवधि मे उसका वाहन न तो परिचालित हुआ है और न ही परिचालन योग्य ही रहा है। परिचालन योग्य (बॉडी निर्मित होने पर) होने की तिथि से कर के भुगतान का दायी होगा। फिर भी बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1939 जो लेखा- परीक्षण की तिथि को प्रभाव मे थे के अन्तर्गत आपत्तिग्रस्त वाहनो का निबंधन अस्थायी निबंधन की तिथि की समाप्ति के पूर्व अथवा तक होना चाहिए था। चूंकि उक्त वाहन भी बकाया सूची मे शामिल है, उनपर भी उपर्युक्त कंडिका के अनरुप कार्रवाई की गई है।	
	5.8	**सरकारी वाहनो पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नही लगाया/वसूला जाना-** बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) तथा उसके अधीन बने नियमो के अन्तर्गत पंजीकृत वाहन के प्रत्येक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, विहित दर पर कर देना है। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अनुसार समय पर कर न देने पर विलम्ब की अवधि और निर्दिष्ट दर के अनुरूप शास्ति/अतिरिक्त कर लगाया जाना है। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1997) यह देखा गया कि 10 जिलो (अररिया, बोकारो, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर और साहेबगंज)। मे 212 सरकारी वाहनो से फरवरी 1989 और फरवरी 1994 की मध्यावधि के लिये 10.79 लाख रुपये राशि के पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर दिसम्बर 1997 तक उग्राहित नही किये गये। इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 1997) कि बकाये कर की वसूली सुनिश्चित करने के लिये संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे है। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 1998), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	सरकारी वाहनो से बकाये कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली के लिये मुख्य सचिव के स्तर से सभी विभाग को निदेश दे दिये गये है तथा वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के [illegible] मे निष्पादित करती है।

	5.9	**विलंबित कर भुगतान पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना-** बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत वाहन मालिकों को विहित समय के अन्दर कर भुगतान करना है। व्यतिक्रम के मामले में, उन्हें भुगतान के महीने तक संगणित अतिरिक्त कर के रूप मे कर या करो की उक्त राशि का 50 प्रतिशत देना है। 7 जिला परिवहन कार्यालायों (बोकारो, दुमका, धनबाद, गया हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची) मे देखा गया (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच) कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल 101 वाहनों से जुलाई 1989 और दिसम्बर 1994 के बीच की अवधि के लिये 10.09 लाख रूपये राशि के अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नही किया गया। इसे बताया जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि 71 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे और शेष 30 मामलों की छानबीन की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में आपत्ति कण्डिकाओं से मुख्यत: यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश आपत्तियाँ वाहनों पर कर अथवा अतिरिक्त कर की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है। संबंधित वर्षो के सभी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) उपलब्ध नही होन की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा झारखंड राज्य के जिलों को छोड़कर इस राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयो मे अबतक निबंधित सभी वैसे वाहनों की सूची प्राप्त की गई जिनके विरूद्ध कर अथवा अतिरिक्त कर बकाया है ताकि उक्त सभी कर प्रमादी वाहनों से बकाए की वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं का अनुपालन ही नही बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य में ऐसे 18,216 मामले प्रकाश मे आए जिनमें कुल 29.62 करोड़ रू. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलों मे संबंधित सभी पदाधिकारियों को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश तो दिया ही गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम में कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश मे आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निबंधित कराने का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे ममलों में प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया । मुख्यालय स्तर से 544 मामलो मे प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधन जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह मे आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठकों मे उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनो स्वामियों से	गृह (आरक्षी) वि इस कंडिका से सं सभी दर्ज की प्राथमिकी का अनुस छः के अंदर पूर्ण एवं प्रति माह को प्रगति प्रति लिखित रूप से उप करावें । इसी राजस्व पर्षद के भी उपर्युक्त अनु लागू मानी जायगी ।

		बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पंप्रत्र-3 एवं 4 मे पूरा व्योरा अंकित कर संबंधित जिलों को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों मे नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	
5.10	**बकाये कर का उद्ग्रहण किये बिना वर्तमान कर का उद्ग्रहण होना-** बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमो के अनुसार करारोपण अधिकारी किसी मोटर वाहन या परिवहन वाहन की वर्तमान तिमाही के कर के भुगतान को अस्वीकार कर सकता है जब तक कि उस वाहन पर पूर्व के देय कर का पूर्ण भुगतान या निराकरण नही हो जाता। इसके अतिरिक्त, बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अधीन विहित समय के अन्दर कर का भुगतान नही होने पर अर्थदंड या अतिरिक्त कर, जैसा भी हो, लगाया जाना है। 5 जिला परिवहन कार्यालयो (बिहारशरीफ, डाल्टेनगंज, हजारीबाग, खगड़िया और राँची) मे देखा गया (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि 39 वाहनों से संबंधित वर्तमान करो को स्वीकार करते समय जनवरी 1989 और फरवरी 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये अतिरिक्त कर/ अर्थदंड के अलावा 5.60 लाख रूपये राशि के बकाये का उद्ग्रहण नही किया गया। इसे बताये जाने पर (मई और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारी हजारीबाग ने कहा (जुलाई 1998) कि मामला मे 0.01 लाख रुपये की वसूली की गयी और 24 मामलों मे माँग पत्र निर्गत किये गये तथा शेष मामलों में संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998) मामले सरकार को प्रतिवेदन किये गये (नवम्बर 1997 और जनवरी 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन की उपर्युक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन की आपत्ति कंडिकाएँ मुख्यत: करों की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है बकाए कर की वसूली के बिना चालू कर स्वीकार करना संबंधित पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है तथा ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी कार्यालयों से अबतक पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पदस्थापन की अवधि के आधार पर जिम्मेवारी निर्धारित करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। जहां तक राजस्व की क्षति का प्रश्न है जैसा कि स्पष्ट किया गया है राज्य के प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय मे अबतक निबंधित सभी वाहनों में से कर के बकाया से संबंधित मामलों मे डाटा-बेस तैयार कर, मुख्यालय स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण करते हुए वसूली की कार्रवाई, नीलामपत्र वाद अथवा यथा आवश्यक प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई की गई है।	गृह (आरक्षी) विभाग इसे कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छ: के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।
5.11	**कर प्रभावी वाहनों का सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होना-** बिहार और उड़ीसा मोटर करारोपण अधिनियम, 1930, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार पंजीकृत वाहन के हर एक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को	कर संग्रह के लक्ष्य और वास्तविक वसूली में विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण बिना वाहनों की संख्या पर	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध में विभाग की गई

(५५)

	वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो कर देना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी निश्चित अवधि के लिये यदि अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे करारोपण अधिकारी को इस आशय का घोषणपत्र देना है तथा कर प्रतीक और पंजीयन प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना है। वाहन के अनुपयोग की अवधि मे वह कर भुगतान से छूट का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, जुलाइ 1991 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक निर्देश के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को, वैसे वाहनों को, जो वाहन कर भुगतान नही करने की अवधि मे दुर्घटनाग्रस्त हुए, अभिग्रहित करते हुए उनके मालिकों के विरूद्ध मामला दायर करना है। 5 जिला परिवहन कार्यालयों (बोकारो, चाईबासा, दुमका, पटना और सहरसा) में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1997 और मार्च 1998 के बीच) कि जनवरी 1989 और मार्च 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 10 मोटर वाहन मालिकों ने पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नही किया। मोटर वाहन निरीक्षकों के दुर्घटना प्रतिवेदन से भी यह पता चला कि बिना कर भुगतान किये राज्य मे वाहन चलाने पर किसी प्रभावी प्रणाली की कोई व्यवस्था नही है। सड़क दुर्घटना मे अंतर्ग्रस्त इन वाहनो के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की राशि 6.49 लाख रुपये थी। इंगित किये जाने पर (मई 1997 और मार्च 1998 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि 5 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। अन्य मामलों में उत्तर नहीं दिये गये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदन किये गये (दिसम्बर 1997 और मार्च 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।	वैज्ञानिक रूप से लक्ष्य निर्धारित किये मात्र इन्क्रीमेन्टल पद्धति से अनुमान के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना रहा है। कम्प्यूटर नही होने के कारण कर अपवंचना करने वाले व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध सघन निरोधात्मक कार्यवाइ करने मे समस्याएँ उत्पन्न होती रही है। चूँकि प्रारंभ से ही निबंधित वाहनों के निबंधन रद्द करने की परंपरा नही रही है। अत: 40-50 वर्ष पुराने वाहन भी निबंधित वाहनो के रूप मे दर्शाए जाते रहे है जबकि व अस्तित्व मे नही भी हो सकते है। संपूर्ण भारत वर्ष मे कुल निबंधित वाहनों का लगभग 25 प्रतिशत गैर परिचालित वाहन माने जा सकते है। फिर भी इस प्रतिशत से अधिक कर नही देने वाले वाहनो की धरपकड़ प्रवर्त्तन तंत्र द्वारा उनको परिचालित होते समय ही संभव है। पूर्व में ऐसे बकायादार वाहनों के स्वामियों के पते से जब पत्र भेजे गये थे तो उनमें से अनेकानेक पत्र अधुरे पते रहने के कारण वापस आ गये थे जिस कारण उनके वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकियाँ भी दर्ज कराइ गई है। अब कर प्रमादी वाहनो का परिचालन के समय ही पकड़ने हेतु रियल टाईम व्हीकील ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसे बी.ओ.टी.आधार पर संपन्न कराने हेतु मंत्रिपरिषद की सैधांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस पद्धति के लागू होने के उपरान्त आशा की जाती है कि कर प्रमादी परिचालित होने वाले वाहनों का प्रतिशत नगण्य रह जायगा।	कारवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये।
5.1	परिवहन वाहन के पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता का गलत अवधारण होना। कर अवधारण के लिये 1 अप्रैल 1983 से विनिर्माता द्वारा प्रमाणित सकल लदान-भार वाहन का पंजीकृत लदान-भार माना जाता है। इसके अतिरिक्त, मई 1986 और नवम्बर 1991 मे राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत कार्यपालक निर्देशों के अनुसार यात्री परिवहन वाहनों की बैठान क्षमता उनके अगले तथा पिछले पहिये के बीच की दूरी (व्हील बेस) के आधारा पर निर्धारित की गयी। राज्य परिवहन आयुक्त की बिना सहमति के बैठान क्षमता कम करना स्वीकार्य नही है। 5 जिला परिवहन कार्यालयों (धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, पुर्णिया और राँची) की लेखापरीक्षा के दौरान पता चला (अप्रैल और [illegible] के बीच) कि 52 माल एवं यात्री परिवहन वाहनो [illegible] मे जनवरी 1989 और नवम्बर 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिए पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता उक्त निर्देशों के अनुसार अवधारित नही की गई। इसके फलस्वरूप 4.52	बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में लोक सवारी गाड़ियों मे बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन के व्हील बेस के आधार पर करने के स्पष्ट प्रावधान के अभाव मे कई जिला परिवहन कार्यालयों मे बैठान क्षमता का निर्धारण वाहन स्वामी द्वारा समर्पित घोषण पत्र एवं मोटर यान निरीक्षक के प्रतिवेदन पर करने की [illegible] वस्तुत: ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा बसों मे बैठने की सीटों का व्यावसायिक हित एवं प्रतिस्पर्धा [illegible] अधिक आरामदायक बस बना [illegible] परमिट प्राप्त करने आदि के दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया [illegible] तदनुरूप	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती विचार के संदर्भ में निष्पादित करती है।

		लाख रुपये राशि के पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण नही हुआ। इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि मामले की जाँच की जायेगी और उक्त निर्देशों के अनुसार पंजीकृत उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्तूबर 1998)।	घोषणा पत्र देने एवं मोटर यान निरीक्षक द्वारा भौतिक निरीक्षण के उपरान्त बैठान क्षमता निर्धारित करने पर निबंधन किया गया है। बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2002 में वाहन के व्हील बेस के आधार पर बैठान क्षमता मानते हुए कर एवं अतिरिक्त कर वसूल करने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई वाहन स्वामी अपने व्यवसायिक हित एवं प्रतिस्पर्धा में अधिक आरामदायक बस बनाना चाहता है तथा कम अथवा अधिक आरामदायक सीट की व्यवस्था करता हो तो भी उसे व्हील बेस के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता के अनुरुप ही कर एवं अतिरिक्त कर देना पड़ेगा । इस स्पष्ट प्रावधान से भविष्य में किसी बस में कम सीट होने पर भी टैक्स व्हील बेस के अनुरुप सीटों की संख्या पर ही देना होगा । पूर्व में भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता के कारण हुई राजस्व की क्षति हेतु संबंधित मोटरयान निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे बस स्वामियों से व्हील बेस के आधार पर बकाए कर की वसूली हेतु उपर्युक्त कंडिका के स्पष्टीकरण में वर्णित कार्रवाई की गई है।	

वर्ष 1998-99
पृ० 35 से 43

	वर्ष- 1998-99		
5.01	**लेखापरीक्षा के परिणाम** वर्ष 1998-99 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 4438 मामलों में 11103.40 लाख रूपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना आदि के नहीं लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है.- मामलों की संख्या राशि (लाख रूपये में) 1.करों का नहीं/कम लगाया जाना 1417 4317.19 2.शुल्क, जुर्माना तथा अर्थदण्ड आरोपित नहीं होना 942 55.57 3.1998-99 की अवधि में माल एवं यात्रियों पर कर शीर्ष के अन्तर्गत 11 15.43 जमा सरकारी राजस्व में असंगति 4.बैठान क्षमता/पंजीकृत लदान-भार के गलत निर्धारण के कारण कम 31 1.63 कर लगाया जाना 5. अन्य मामले 2037 6713.58 **कुल** 4438 **11103.40** वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 4361 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 4372.82 लाख रूपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार किया जिसमें 21.28 लाख रूपये से अन्तर्ग्रस्त 133 मामले 1998-99 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये। दृष्टांतस्वरूप 196.93 लाख रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले अनुवर्ती कण्डिकाओं में दिये गये है :-	विभिन्न वर्षों के लेखा परीक्षा के परिणाम मुख्य तौर से इन्ही बिन्दुओं पर केन्द्रीत है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नहीं लिये गये है अथवा कम दरों पर लिये गये है । इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रतिरोधात्मक उपाय एवं जो त्रुटियाँ प्रकाश में आई है उनके परिमार्जन के उपाय दोनों पर ही ध्यान केन्द्रीत किया गया है । चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान की गई नमूना जांच में वास्तविक त्रुटियों का कुछ अंश ही उजागर हो सका है, तथा प्रत्येक मामले में कोई न कोई वाहन अवश्य सन्निहित है, इस कारण यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कंडिका में वर्णित मामलों का सृजन जिन आई आर पाराओं से हो रहा है, उनका एक डाटा बेस बना दिया जाय तथा उसे यथा संभव संपूर्ण एवं अद्यतन रखने की प्रक्रिया जारी की जाय पूर्व में दायर नीलाम पत्र वादों को छोड़ कर इस डाटा बेस में वर्णित किये जाने वाले सभी मामलों में मुख्यालय स्तर से ही प्रश्नगत मामलों में नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधियाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनों पर उक्त लेखापरीक्षा की तिथि को वसूलनीय राशि के साथ-साथ लेखापरीक्षा की तिथि से लेकर नीलामपत्र वाद दायर किये जाने की तिथि तक वसूलनीय राशि दोनों को जोड़ते हुये नीलापत्र वाद दायर करें तथा दायर किये गये वाद संख्या मुख्यालय को प्रेषित करें, जो कम्प्यूटर में संधारित कर ली जाय तथा उनका मौनिटरिंग समय-समय पर संभव हो सके । इस प्रक्रिया के तहत उत्तरवर्ती बिहार के विभिन्न जिलों में दायर नीलामपत्र वादों की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियाँ परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है ,जिसमें कुल 17.92 करोड़ रू. की राशि के नीलामपत्र वाद 7752 मामलों में दायर किये जाने की सूचना	विभाग की आपत्ति के आलोक में दिये गये स्पष्टीकरण एवं सुधारात्मक उपायों को समिति संतोषजनक मानते हुये इस कंडिका को बिहार के जिलों के संबंध में निष्पादित करती है।

			सन्निहित है । चुंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया से लेखापरीक्षा में पायी जाने वाली अधिकांश त्रुटियों का भविष्य में निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है । भविष्य में करों अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरें गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले मे बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निर्गत हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अवांछित कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलों को कम्पयूटरीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पांच जिलो यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां और भागलपुर आदि की तर्ज पर सभी जिलों को एन.आई. सी. के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराये जाने हेतु राज्य योजना मद से राशि भी प्राप्त हो चुकी है । कम्प्यूटरीकरण के कार्य संपन्न हो जाने के उपरान्त मैनुअल कलकुलेशन की त्रुटियाँ की आशंका समाप्त हो जायगी तथा कर, जुर्माना, फीस आदि न लेने अथवा कम दरों पर लेने की स्थितियाँ भी समाप्त प्रायः हो जायगी क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा ऐसी स्थिति मे स्वयं ही आगे की कार्रवाई स्थगित कर दिया जायगा ; उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अनुवर्ती कंडिकाओं में यथा अवश्यक स्पष्टीकरण अंकित किया गया है ।	
	5-02	**प्रमाणपत्र के अंतर्गत कर की वसूली नहीं किया जाना-** बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार अधियाचना अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी को अधियाचना भेजने पर प्रमाणपत्र की प्रक्रिया के अनुसार बकाया मोटर वाहन कर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय है। बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम (पी.डी.आर एक्ट), 1914, उसके अंतर्गत निर्मित नियमो तथा राजस्व पर्षद के कार्यपालक निर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये अधियाचना अधिकारी और प्रमाणपत्र अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा उठायी गयी आपत्तियो के निराकरण के लिये अधियाचना अधिकारी को समुचित रूप से तत्पर रहना है अन्यथा प्रमाणपत्र समाप्त हो जायेगा। राँची और जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यलयों की लेखापरीक्षा के दौरान (अक्तूबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच) देखा गया कि अप्रैल 1968 और मई 1993 के बीच की अवधि के	भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में आपत्ति कण्डिकाओं से मुख्यतः यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश आपत्तियां वाहनों पर कर अथवा अतिरिक्त कर की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है। संबंधित वर्षो के सभी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) उपलब्ध नही होन की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा झारखंड राज्य के जिलों को छोड़कर इस राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयो मे अबतक निबंधित सभी वैसे वाहनो की सूची प्राप्त की गई जिनके विरूद्ध कर अथवा अतिरिक्त कर बकाया है ताकि उक्त सभी कर प्रमादी वाहनों से बकाए की	गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका में वर्णित सभी वर्षों की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावें । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

		देय कर की वसूली के लिये संबंधित प्रमाणपत्र कार्यालयो मे 30 मोटर वाहनों के विरुद्ध प्रमाणपत्र दायर किये गये (1992-93 मे 5, 1993-94 में 22 और 1994-95 में 3) जिन्हें प्रमाणपत्र अधिकारियो नें आपत्तियों के साथ निराकरण के लिये अधियाचना अधिकारियो को लौटा दिया (अगस्त 1996 और अक्तूबर 1997 के बीच)। किंतु, डेढ वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका निराकरण नही किया गया। इस तरह 45.52 लाख रुपये राशि का बकाया कर नही वसूला जा सका। दृष्टांतरूवरूप 2 लाख रुपये से अधिक राजस्व प्रभाव के 3 मामले निम्न तालिका में दिये गये है :-	वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ का अनुपालन ही नही बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयो से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य में ऐस 18,216 मामले प्रकाश मे आए जिनमे कुल 29. 62 करोड़ रू. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलो मे संबंधित सभी पदाधिकारियो को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश तो दिया ही गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियो को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम मे कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश मे आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निबंधित कराने का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे ममलो मे प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया । मुख्यालय स्तर से 544 मामलो मे प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतक प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियो के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधन जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह मे आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठको मे उन्हे निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनो स्वामियो से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दे। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पंप्रत्र-3 एवं 4 मे पूरा व्योरा अंकित कर संबंधित जिलो को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारिया से ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलो मे नीशामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	

क्र.	जि.प. कार्यालय का नाम	प्रमाणपत्र सं. तथा वर्ष	प्रमाणपत्र की वापसी की अवधि	वाहन सं.	प्रकार	देयकर की अवधि	राशि (लाख रु. में)
1	रांची	91/1992-93	अगस्त 1996	बी.एच.एन. 6016	बस	1.10.1997 से 28.2.93	3.55
2	रांची	337/1992-93	तथैव	बी.एच.भी. 5320	बस बस	1.1.1978 से 28.2.93	3.57
3	रांची	378/1994-95	तथैव	बी.आर.भी. 5210		1.4.81 से 31.[illegible].93	2.85
4	रांची	2663/1993-94	तथैव	बी.आर.भी. 7899	बस	1.1.81 से 31.1.93	2.75
5	रांची	1218/1993-94	तथैव	बी.पी.एन. 225	बस	1.7.182 से 31.12.92	2.52
6	जमशेदपुर	27/1993-94	सितंबर 1996	बी.पी.एक्स. 8611	ट्रक	1.4.84 से 31.[illegible].93	20.18
						कुल	7[illegible]3

इस ओर ध्यान करने पर (अक्तूबर 1998 और जनवरी 1999) के बीच, जि. प. अ., जमशेदपुर ने कहा (जनवरी 1998) कि मामले की जाँच की जायेगी जबकि जि.प.अ., रांची ने कहा (नवम्बर 1998) कि आपत्तियों के निराकरण भेज दिये जायेंगे। तदन्तर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1999): उनके प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

5.03 **सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया जाना/नहीं वसूला जाना**

(i) बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930, जिसे बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक को वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, विहित दर पर कर देना है। अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि के अन्दर यदि कोई कर दाता कर नहीं देता है तो उसे कर भुगतान के महीने तक संगणित कर की राशि पर अर्थदण्ड देना है।

सरकारी वाहनों से बकाये कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली के लिये मुख्य सचिव के स्तर से सभी विभागों को निदेश दे दिये गये है तथा वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

विभागीय स्पष्टीकरण को आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।

जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (दिसंबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच) कि राज्य/केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के 20 प्रतिष्ठानों के 165 सरकारी वाहनों से जनवरी 1989 और मई 1999 के बीच की अवधि के लिये (मई 1998 मे देय वार्षिक देय कर सहित) अर्थदण्ड सहित 101.50 लाख रुपये राशि के बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की वसूली 29 दिसम्बर 1998 तक नही की गयी थी। विवरण निम्न तालिका मे दर्शाये गये है :-
क्रमांक कार्यालय/विभाग के नाम कुल वाहनों की राशि
संख्या (लाख रुपये में)

क्र.	कार्यालय/ विभाग के नाम	कुल वाहनों की संख्या	राशि (लाख रु.में)
1	स्वर्णरेखा योजना	60	57.39
2	पुलिस	20	11.85
3	लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल	11	11.74
4	बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति	9	5.98
5	मुख्य संरक्षक वन	2	3.42
6	निदेशक, एम. एम. एल. वर्मा माइन्स	3	2.40
7	सहकारी समिति	5	2.00
8	बिहार राज्य आदिवासी निगम लिमिटेड	17	1.60
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि	9	0.95
10	असैनिक प्रशासन (उपायुक्त)	8	0.78
11	खनन एवं भूतत्व	5	0.76
12	अखिल भारतीय आकाशवाणी	1	0.62
13	दक्षिण पूर्व रेलवे	3	0.56
14	विमान	2	0.54
15	दामोदर घाटी निगम	2	0.37
16	समाज कल्याण	2	0.20
17	जीवन बीमा निगम	1	0.14
18	स्वास्थ्य विभाग	2	0.08
19	दूर-संचार	1	0.06
20	वाणिज्य कर	2	0.06
	कुल	165	101.50

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जनवरी 1999) जिला परिवहन अधिकारी, जमशेदपुर ने कहा (जनवरी 1999) कि संबंधित विभाग को माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 2000)।
मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999): उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 2000)।

(ii) जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर मे देखा गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन डिपो, मुजफ्फरपुर की एक बस (बी.पी.ए.ल. 8481) के लिये जनवरी 1987 से ही कर नहीं दिया गया। तथापि, वह उस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी (5 जुलाई 1997)। जनवरी 1987 से दिसम्बर 1998 तक कर की गैर वसूली राशि [illegible] लाख रुपये थी।

		इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जनवरी 1999) विभाग ने कहा (अक्तूबर 1999) कि जनवरी 1999 में माँग-पत्र निर्गत किया गया। तदनतर उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 2000)। मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999): उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 2000)।		
	5.04	**अभ्यर्पित वाहनों से कर की वसूली नही होना–** बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930, जिसे बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, के अनुसार यदि अनुपयोग की अवधि मे कर से छूट प्राप्त करने हेतु जिस वाहन के कागजात एक बार मे, जबतक कि उसकी अविधि का विस्तार नही किया जाता, अधिकतम छः महीने तक अभ्यर्पित किये गये है, वह घोषणापत्र मे निर्दिष्ट स्थान पर नही पाया गया तो यह माना जायेगा कि प्रत्यर्पण की पूरी कअवधि मे उस वाहन का उपयोग किया गया और इस पूरी अवधि के लिये कर लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा निर्गत कार्यपालक निर्देशों (जून 1981 और 1990) के अनुसार पंजीयन मे किसी प्रकार की प्रवृष्टि करने और प्रत्यर्पण स्वीकार करने के पहले अद्यतन कर की वसूली करना एक पूर्वशर्त है। (i) 3 जिला परिवहन कार्यालयों (जमशेदपुर, सासाराम और चाईबासा) में देखा गया (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि अनुपयोग के लिए 19 मोटर वाहनों के कागजात दिसंबर 1980 और जून 1995 के बीच अभ्यर्पित किये गये। इन सभी मामलों मे घोषणापत्रों मे निर्दिष्ट स्थानों पर प्रवर्तन द्वारा विशेष जाँच के दौरान वाहनों के नही पाये जाने पर प्रत्यर्पण रद्द कर दिये गये (मई 1995 और अक्तूबर 1996 के बीच)। किंतु जनवरी 1989 और जनवरी 1999 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 12.82 लाख रुपये राशि के कर न लगाये गये और न वसूले गये। इस ओर आकृष्ट करने पर (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 15 मामलों में (10. 98 लाख रुपये के कर प्रभाव) माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे, 2 मामलों में (0.90 लाख रुपये) जाँच की जायेगी और शेष 2 मामलों में (0.94 लाख रुपये) प्रमापत्र दायर किये गये। तदन्तर प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2000)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 198 और मार्च 1999 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2000)। (ii) (क) 3 जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्वी चम्पारण, हजारीबाग और पश्चिमी चम्पारण) में देखा गया (दिसंबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) कि नवम्बर 1994 और जून 1997 के बीच 18 वाहनों के प्रत्यर्पण की निर्धारित अवधि समाप्त हो गयी थी। किंतु, किसी भी वाहन मालिक से प्रत्यर्पण की अवधि विस्तार के लिये कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ। आवेदन के अभाव मे दिसम्बर 1994 से अक्तूबर 1998 की अवधि के लिये वाहन मालिकों को 4.15 लाख रुपये का कर देना था।	इस कंडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलों के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलो के संबंध मे अब झारखंड के अधिकारियो द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है। वाहनों स्वामियों द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनों का प्रर्त्यपण दिखा कर करों का भुगतान नही करना और वास्तव में वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है । इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों में वाहन प्रर्त्यपण के सभी मामलों की समीक्षा करें और जहां भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित हो अथवा नही, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत करायें । सभी जिलों परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04. 2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रर्त्यपण के वैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें । उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलों में कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके [illegible] के संबंध [illegible] विभाग की कार्रवाई से [illegible] को [illegible] अवगत [illegible] कराये ।

(51)

	(ख) जिला परिवहन कार्यालय, राँची में देखा गया (अक्तूबर और नवम्बर 1997 के बीच) कि प्रत्यर्पण स्वीकार करते समय अप्रैल 1988 से नवम्बर 1994 की अवधि के लिये 4 वाहनों से रु1.17 लाख रुपये राशि के अद्यतन कर की वसूली नही की गयी। इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (अक्तूबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (अक्तूबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) कि मामलो की जाँच की जायेगी और माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2000)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये (फरवरी 1998 और मार्च 1999 के बीच): उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2000)।	भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रषित किया गया है। जहाँ तक वेसे वाहन स्वाामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलों मे शामिल न हो । वस्तुत: बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 मे कुछ वैधानिक प्रावधन ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद में भी प्रत्यर्पण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमे वाहनों का प्रत्यर्पण तभी विचारणेय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्यर्पण विधिवत किया जाय । राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के मान्य रहने की स्थिति में ही वाहन के प्रत्यर्पण का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रर्त्यपण की अवधि के लिए करों मे छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियों की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।	
5.05	**योग्यता प्रमाण-पत्र की गलत स्वीकृति/नवीकरण-** बिहार और उड़ीसा मोटर करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बिना कर भुगतान किये या बिना विहित छूट प्राप्त किये वाहन का उपयोग करना, जैसा कि उक्त अधिनियम मे निर्दिष्ट है, जुर्माना सहित एक दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक निर्देशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को वाहनों को योग्यता प्रमाण-पत्र स्वीकार/नवीकरण करते समय अद्यतन कर भुगतान से सुनिश्चित होना है और यदि कर बकाया है तो उसे करारोपण अधिकारी के ध्यान में लाना है	उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रषित किया गया है।	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध में विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

	और वैसे परिवहन वाहनों के लिये योग्यता प्रमाण-पत्र स्वीकार/नवीकरण करना वर्जित है जिसके विरुद्ध कर [illegible] है। 6 जिला परिवहन कार्यालयों (बोकारो, चाईबासा, छपरा, दुमका, जमशेदपुर और रांची) में देखा गया (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 39 वाहनों के विरुद्ध विभिन्न अवधि के लिये (अक्तूबर 1981 और जून 1998 के बीच) 13.63 लाख रुपये राशि का पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर बकाया था किन्तु कर भुगतान नहीं करने की अवधि [illegible] भी विहित अधिकारियों द्वारा उन्हें योग्यता प्रमाण-पत्र [illegible] गये। इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 11 मामलों में माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे और शेष मामलों में संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों से पूछा जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 198 और मार्च 1999 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।	जहां तक वैसे वाहन स्वामि[illegible] है जिनके द्वारा [illegible] के बाद भी करों का भुगतान [illegible] गया है, उनके मामले में भी, कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10.60 [illegible] राशि [illegible] इस आलोक में [illegible] में [illegible] प्रकार [illegible] त्रुटि [illegible] परिलक्षित [illegible] जागरूकता बरती जा रही है।	
5.06	**बिना अनुज्ञा-पत्र के वाहनों का उपयोग करने के कारण राजस्व की हानि-** मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (मोटर वाहन अधिानियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित), बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार सिवाय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (क्षे. प.) या राज्य परिवहन प्राधिकार या अन्य विहित अधिकारी द्वारा दिये गये अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी मोटर वाहन मालिक सार्वजनिक स्थान में स्वयं उस वाहन का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में नहीं करेगा या उपयोग करने के लिय अनुमति नहीं देगा चाहे उस वाहन में यात्री या माल हो या नहीं हो। अनुज्ञा-पत्र के लिये प्रत्येक आवेदन जिस क्षेत्र में वाहन का परिचालन प्रस्तावित है, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के यहाँ दिया जाना है। बिना अनुज्ञा-पत्र के सार्वजनिक स्थान में किसी भी मोटर वाहन का परिवहन वाहन के रूप में परिचालन नहीं किया जा सकता। अधिनियम के अधीन बिना अनुज्ञा-पत्र के परिवहन वाहन परिचालन के लिये उपभोक्ता को पाँच हजार रुपये तक का अर्थदण्ड आरोप्य है। जुलाई 1989 से अनुज्ञा-पत्र की कालावधि तीन वर्ष कर दी गयी। बिहार मोटर वाहन नियम, 1940 (बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 द्वारा संशोधित) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विहित दरों पर अनुज्ञा-पत्र शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। दिसंबर 1998 से जनवरी 1999 में जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 151 वाहनों के वि जमशेदपुर में कर का भुगतान किया गया और योग्यता प्रमाण-पत्र लिया गया। जनवरी 1999 में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से पता चला कि निर्दिष्ट पथ पर वाहन परिचालन के लिये इन वाहनों के मालिकों ने अनुज्ञा-पत्र प्राप्त नहीं किया। यहाँ तक	प्रवर्त्तन तंत्र के केन्द्रीय कृत [illegible] जांच व्यवस्था के अन्तर्गत बिना [illegible] के परिचालन पर अंशतः नियंत्रण [illegible] किया गया है। बिहार वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में हुए संशोधनों में दूरी आधारित टैक्स व्यवस्था होने से तथा सवारी गाड़ी के संदर्भ में भी टैक्स भुगतान की अवधि के लिये प्राधिकार-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था लागू होने से बिना परमिट के परिचालन पर पूर्णतः अंकुश लाना संभव हो सकेगा।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।

		कि प्रवर्तन शाखा/चलन्त दस्ता भी अनुज्ञा-पत्र दोषी वाहनों का पथ पर अभिग्रहण करने में असफल रहा। दोषी वाहनों का अभिग्रहण करने में विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की असफलता के कारण जनवरी 1975 और जनवरी 1999 के बीच की अवधि के लिये अनुज्ञा-पत्र और आवेदन शुल्क के रूप में 12.33 लाख रुपये (अर्थदण्ड सहित) की राशि की हानि हुई। जनवरी 1999 में इस बताये जाने पर उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची ने कहा (फरवरी और दिसम्बर 1999 के बीच) कि अभिलेखों पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इन वाहनों के संबंध में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित किये गये, तथापि प्रवर्तन शाखा को ऐसे वाहनों का [illegible] करने के लिये निर्देश दिया जा रहा है। [illegible] प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)। मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।		

(27)

वर्ष 1999-2000
पृ० 44 से 67

	वर्ष-1999-2000		
[illegible]	[illegible]		
	[illegible] [illegible] अभिलेखों की नमूना जाँच से 11002 [illegible] मे [illegible] लाख रुपये [illegible] [illegible], जुर्माना आदि के नहीं/कमलगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियो मे आते है।	विभिन्न वर्षो के लेखा परीक्षा के परिणाम मुख्य तौर से इन्ही बिन्दुओ पर केन्द्रीत है कि कर, फीस, जुर्माना और अर्थदंड या तो नही लिये गये है अथवा कम दरों पर लिये गये है । इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रतिरोधात्मक उपाय एवं जो त्रुटियाँ प्रकाश मे आई है उनके परिमार्जन के उपाय दोनों पर ही ध्यान केन्द्रीत किया गया है । चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान की गई नमूना जांच मे वास्तविक त्रुटियों का कुछ अंश ही उजागर हो सका है, तथा प्रत्येक मामले मे कोई न कोई वाहन अवश्य सन्निहित है, इस कारण यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कंडिका मे वर्णित मामलो का सृजन जिन आई आर धाराओ से हो रहा है, उनका एक डाटा बेस बना दिया जाय तथा उसे यथा संभव संपूर्ण एवं अद्यतन रखने की प्रक्रिया जारी की जाय पूर्व मे दायर नीलाम पत्र वादो को छोड़ कर इस डाटा बेस मे वर्णित किये जाने वाले सभी मामलो मे मुख्यालय स्तर से ही प्रश्नगत मामलो मे नीलामपत्र वाद दायर करने के पूर्व अधियाचना पत्र छाप कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे संबंधित वाहनो पर उक्त लेखापरीक्षा की तिथि को वसूलनीय राशि के साथ-साथ लेखापरीक्षा की तिथि से लेकर नीलामपत्र वाद दायर किये जाने की तिथि तक वसूलनीय राशि दोनो को जोड़ते हुये नीलापत्र वाद दायर करें तथा दायर किये गये वाद संख्या मुख्यालय को प्रेषित करें, जो कम्प्यूटर मे संधारित कर ली जाय तथा उनका मौनिटरिंग समय-समय पर संभव हो सके । इस प्रक्रिया के तहत उत्तरवर्ती बिहार के विभिन्न जिलो मे दायर नीलामपत्र वादो की वाद संख्या तथा सन्निहित राशियाँ परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है जिसमे कुल 17.92 करोड़ रू. की राशि के नीलामपत्र वाद 7752 मामलो मे दायर किये जाने की सूचना सन्निहित है । चूंकि अब यह एक प्रक्रिया के तौर पर अंगिकृत किया गया	विभाग द्वारा आपत्ति के आलोक में दिये गये [illegible] एवं सुधारात्मक उपायों को समिति संतोषजनक मानते हुये इस कंडिका को बिहार के जिलों के संबंध में निष्पादित करती है।

(24)

है अतः इसे निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया से लेखापरीक्षा मे पायी जाने वाली अधिकांश त्रुटियों का भविष्य में निरंतर निराकरण होता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है ।

भविष्य मे करों अथवा फीस, फाईन अथवा अर्थदंड की दरें गलत न हो, उनकी गणनाएँ गलत न हो और किसी भी मामले मे बिना इसके भुगतान के न तो टैक्स टोकन निर्गत हो और न ही वाहन स्वामी द्वारा अवांछित कार्य संपन्न हो, इस उद्देश्य से उत्तरवर्ती बिहार के सभी जिलों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु योजना का सूत्रण हो चुका है तथा बिहार के पांच जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां और भागलपुर आदि की तर्ज पर सभी जिलों को एन.आई.सी. के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराये जाने हेतु राज्य योजना मद से राशि भी प्राप्त हो चुकी है । कम्प्यूटरीकरण के कार्य संपन्न हो जाने के उपरान्त मैनुअल कलकुलेशन की त्रुटियों की आशंका समाप्त हो जायगी तथा कर, जुर्माना, फीस आदि न लेने अथवा कम दरों पर लेने की स्थितियाँ भी समाप्त प्रायः हो जायगी क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा ऐसी स्थिति मे स्वयं ही आगे की कार्रवाई स्थगित दिया जायगा ।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अनुवर्ती कंडिकाओं मे यथा अवश्यक स्पष्टीकरण अंकित किया गया है ।

क्र.	श्रेणी	ममलों की सं.	राशि (लाख रू. में)
1	कर का नहीं/ कम लगाया जाना	225	620.42
2	शुल्क,जुर्माना तथा अर्थदंड आरोपित नहीं होना	263	2.74
3	पी जी.टी. यात्रियों एवं माल पर कर शीर्ष के अन्तर्गत जमा सरकारी राजस्व में असंगति	..	1264.65
4	बैठान क्षमता/ आर एल डब्ल्यू पंजीकृत लदान-भार के गलत निर्धारण के कारण कम	193	41.63

(23)

5	अन्य मामले	10341	23771.73
	कुल	1102	25701.17

	वर्ष 1999-2000 के दौरान संबंधित विभाग ने 609 मामलो मे अंतर्ग्रस्त 379.16 लाख रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार किया जो पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा मे प्रकाश मे आये। दृष्टांत स्वरूप कुछ मामले और ''भू-राजस्व के बकाये की तरह देय की वसूली'' पर की गयी समीक्षा जिनमे 12696.84 लाख रुपये निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओ मे दिये गये है:-		
5.02	**भू-राजस्व के बकाये की तरह देय की वसूली-** 5.02.01 ***प्रस्तावना*** बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि मो वा क) अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमो के प्रावधानों के अनुसार पथ कर ओर अतिरिक्त मोटर वाहन कर, वार्षिक या तिमाही, अग्रिम ही देय है। ऐसे देय कर, जिसका भुगतान न कियागया हो, पर करारोपरण अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित करना है। यदि कोई कर या अर्थदण्ड असंदत्त है तो बकाये भू-राजस्व की वसूली की रीति से उसकी वसूली की जानी है। कार्यपालक निर्देशो (जून 1988 तथा नवम्बर 1990) के अनुसार देय कर की राशि चुकता नही करने के मामले मे करारोपण अधिकारी को माँग-पत्र निर्गत करने है और तदुपरांत बकाये भू-राजस्व की वसूली की तरह देय कर की वसूली के लिये प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ करनी है। लोक माँग वसूली (लो माँ व) अधिनियम, 1914 के अनुसार कोई रकम जो तत्पसय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बकाया राजस्व घोषित हो, भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली योग्य है। यदि प्रमाणपत्र अधिकारी इससे आश्वस्त है कि समाहर्ता को भुगतेय कोई माँग बकाया है, तो वे यह कहते हुए कि माँग देय है, निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करेंगे और अपने कार्यालय मे प्रमाणपत्र संचिकाबद्ध करायेंगे। तथापि, देय कर को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली के लिये कोई भी समय सीमा बि मो वा क अधिनियम मे निर्धारित नही की गयी है।	तथ्यात्मक विवरण, अतएव कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नही है।	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है ।
5.02 .02	***सांगठनात्मक ढाँचा*** राज्य परिवहन आयुक्त (रा प आ) मोटर वाहन (परिवहन) विभाग के प्रधान होते है और नीति संबंधी सभी मामलो पर कार्रवाई करते है। सरकार ने उन्हें अधिनियमों औरनियमों के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा है। अपने कर्तव्य के पालन मे उन्हें मुख्यालय मे 3 संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तो, 13 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों (क्षे प प्रा) के सचिवो, जिला स्तरपर 55 जिलापरिवहन अधिकारियों (जि प अ), मोटर वाहन निरीक्षको (मो वा नि), प्रवर्त्तन अधिकारियों, निरीक्षको, उप निरीक्षको को मिलाकर गठित प्रवर्त्तन शाखा (प्र शा) और 3 जाँच चौकियो से सहयोग प्राप्त होता है।	तदैव	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है ।
5.02 .03	लेखापरीक्षा का क्षेत्र- बकाये की वसूली से संबंधित अधिनिय, नियमों और कार्यापालक अनुदेशों का उचित तौर पर अनुपालन हो रहा है या नही, इसे ज्ञात करने के अभिप्राय से लेखापरीक्षा मे प्रक्रमवार तंत्र की त्रुटियों का विश्लेषण किया गया। अप्रैल और जून 2000 के बीच लेखापरीक्षा मे रा प आ के कार्यालय, संबंधित जिला प्रमाणपत्र कार्यालयों सहित 7 जिला परिवहन कार्यालयों के (धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और राँची) 1994-95 से	तदैव	समिति इसे आगे बढ़ाने की अनुशंसा नही करती है ।

(22)

		1999-2000 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।		
	5.02.4	***विशिष्टतायें-*** (i) जि. प. अ. द्वारा जिला प्रमाणपत्र अधिकारियों को आवश्यक ब्योरा उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप जून 1993 से फरवरी 2000 के दौरान 4134 मामलों में 3866.98 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल नही हो सकी। ***[कंडिका 5.02.7 (ii) (ख)]*** (ii) 3 जिला परिवहन कार्यालयों में 1763 मामलों को गलत तरीके से छोड़ देने के कारण 1144.78 लाख रुपये की हानि हुई। ***[कंडिका 5.02.8 (क)]*** (iii) स्थगनादेश को नही हटाने से 253 मामलों में 408.11 लाख रुपये के बकाया की वसूली नही हुई। ***[कंडिका 5.02.8 (ग)]*** (iv) प्रथम सूचना निर्गमन के उपरांत 3 से 84 महीने व्यतीत होने के बाद भी 5230.17 लाख रुपये के 6203 प्रमाणपत्र मामले निष्पादित नहीं किये गये। ***[कंडिका 5.02.8 (ii) (क)]*** (v) एक जिला परिवहन कार्यालय में 4877.86 लाख रुपये के 5587 मामलों में प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ करने में 2 से 3 वर्षों का विलंब हुआ। ***[कंडिका 5.02.8 (ख)]***	भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में आपत्ति कण्डिकाओं से मुख्यत: यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश आपत्तियाँ वाहनों पर कर अथवा अतिरिक्त कर की कम वसूली अथवा नहीं वसूली से संबंधित है। संबंधित वर्षों के सभी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) उपलब्ध नहीं होन की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा झारखंड राज्य के जिलों को छोड़कर इस राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में अबतक निबंधित सभी वैसे वाहनों की सूची प्राप्त की गई जिनके विरूद्ध कर अथवा अतिरिक्त कर बकाया है ताकि उक्त सभी कर प्रमादी वाहनों से बकाए की वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं का अनुपालन ही नहीं बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य में ऐसे 18,216 मामले प्रकाश में आए जिनमें कुल 29.62 करोड़ रू. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलों में संबंधित सभी पदाधिकारियों को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश तो दिया ही गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम में कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश में आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निबंधित कराने का अपराधिक षड्यंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे ममलों में प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया। मुख्यालय स्तर से 544 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधन जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह में आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठकों में उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा	गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छ: माह के अंदर पूर्ण करे एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावें। इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी।

			है कि कर प्रमादी वाहनो स्वामियों से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दे। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पंप्रत्र-3 एवं 4 मे पूरा ब्योरा अंकित कर संबंधित जिलों को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलो के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलो मे नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	
	5.02.5	(क) *बकाया की स्थिति-* विगत 5 वर्षों मे 31 मार्च को बकाया की स्थिति निम्नवत् रही:- (लाख रू.मे) **वर्ष** **वर्ष** 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 बकाया का विभाजन जैसे संबंधित वर्षों मे बकायाकी अभिवृद्धि और निष्पादन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। विभिन्न स्तरों पर लंबित बकाया की स्थिति का विवरण भी उपलबध नही करायागया। विभाग ने बतायाकि 1999-2000 के अंत मे कुल बकाया राशि 49720 प्रमाणपत्र मामलो से आच्छादित है।	परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की प्रत्येक माह मे आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठको मे उन्हें निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनो स्वामियो से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओं के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र पंप्रत्र-3 एवं 4 मे पूरा ब्योरा अंकित कर संबंधित जिलों को अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलो के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अबत 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलो मे नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध मे विभाग की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।
		(ख) *प्रमाणित बकाया की स्थिति* रा प आ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 4 वर्षों के प्रमाणित बकाया की स्थिति निम्नवत् है:- **(लाख रुपये में)**	तदैव	

अवधि	मामलों की कुल सं.	राशि	निपटान मामले - राशि	अतिशेष मामले - राशि	निष्पादन की प्रतिशत
1196-97	56079	21282.52	6799 2831.18	49280 18451.34	12.12
1997-98	50064	18673.65	1461 551.18	48603 18122.47	2.91
1997-99	49531	18483.64	1148 404.10	48383 18079.54	2.31
99-2000	49831	18726.38	556 308.41	49275 18417.97	1.11

विभाग ने बकायाका वर्षवार विवरण माँगने पर भी उपलब्ध नहीं कराया। थापित, 5 जि प अ से संगृहीत सूचना से पता चला कि 100 मामलों में बकाये के 270.77 लाख रुपये, हर एक मामला लाख रुपये से अधिक का, 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

(ग) *बकाया संग्रहण के लक्ष्य की अप्राप्ति*

वित्त विभाग द्वारा नियत किये गये बकाया संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में विभाग द्वाराकिये गये संग्रहण के ब्यौरे नीचे दिये गये है:-

तदैव

उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध में विभाग की गई कार्रवाइ से समिति को ‹› माह के अन्दर अवगत कराये।

(लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	संग्रहण	अतिशेष	लक्ष्य से संग्रहण की प्रतिशत
1994-95	6936.38	2369.18	4567.20	34.15
1995-96	7936.39	2528.88	5407.51	31.86
1996-97	7142.00	1594.27	5547.73	22.32
1997-98	2230.00	1368.50	861.50	61.36
1997-99	1526.50	916.47	610.03	60.03
1999-2000	5620.00	1085.86	4534.14	19.32

उपर्युक्त से परिलक्षित होगा कि नियत किये गये लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किये गये और 1994-95 से 1999-2000 के दौरान असंगृहीत भारी अतिशेष रखते हुए बकाये के संग्रहण की प्रतिशतता 19.32 से 61.36 के बीच रही ।

3.03 ***प्रमाणपत्र कार्यवाहियाँ आरंभ नहीं करना-***

बि. मो. वा.क. अधिनियम, 1994 में निर्धारित समय के अंतर्गत करों का भुगतान करना है। रा प आ द्वारा निर्गत अनुदेशों (जून 1988 एवं नवंबर 1990) के अनुसार जि प अ समय पर कर उगाहने के लिये उत्तरदायी हैं। कर चुकता नहीं करने के मामले में

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में आपत्ति कंडिकाओं से मुख्यतः यह परिलक्षित

पृष्ठ (आरसी) [illegible] इस कंडिका [illegible] संबंधित सभी दर्ज

(19)

		सर्वप्रथम माँग-पत्र निर्गत करना है और तत्पश्चात् प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। नमूना जांच किये गये 7 जि प अ (धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और राँची) में से किसी के द्वारा मांग-पत्र निर्गत करने से संबंधित ब्योरेवार सूचना संधारित नहीं की गयी। परिणामत: कोई प्रमाणपत्र कार्यवाही आरंभ नही की जा सकी। **दृष्टांत स्वरूप 3 से 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित 20 मामले जिसमें 75.31 लाख रुपये निहित थे और जिसके हर मामले में 2 लाख और उससे अधिक रुपये अंतर्ग्रस्त थे, नीचे दिये गये है:-** **(लाख रुपये में)**	होता है कि अधिकांश आपत्तियाँ वाहनों पर कर अथवा अतिरिक्त कर की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है। संबंधित वर्षो के सभी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) उपलब्ध नही होन की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा झारखंड राज्य के जिलों को छोड़कर इस राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों मे अबतक निबंधित सभी वैसे वाहनो की सूची प्राप्त की गई जिनके विरूद्ध कर अथवा अतिरिक्त कर बकाया है ताकि उक्त सभी कर प्रमादी वाहनों से बकाए की वसूली की जाय। ऐसा होने पर मात्र आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ का अनुपालन ही नही बल्कि सभी कर प्रमादी वाहनों से वसूली सुनिश्चित होगी। सभी कार्यालयों से उक्त सूचनाएँ प्राप्त कर मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कर डाटा-बेस तैयार किया गया। झारखंड राज्य को छोड़कर इस राज्य में ऐसे 18,216 मामले प्रकाश मे आए जिनमे कुल 29.62 करोड़ रू. की राशि सन्निहित है। इन सभी मामलों में संबंधित सभी पदाधिकारियों को सघन अभियान चलाकर वसूली का निर्देश तो दिया ही गया, मुख्यालय स्तर से भी संबंधित वाहना स्वामियो को नोटिस निर्गत किया गया। इसी क्रम मे कतिपय नोटिस वापस आने पर यह प्रकाश में आया कि गलत नाम/ पता पर वाहन को निबंधित कराने का अपराधिक षडयंत्र कर कर एवं अतिरिक्त कर की चोरी की गई है। अतएव ऐसे ममलों मे प्राथमिकी दायर करने का निर्देश भी दिया गया । मुख्यालय स्तर से 544 मामलो में प्राथमिकी दायर की गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अतब प्राप्त सूचना के अनुसार 284 वाहनों स्वामियों के विरूद्ध दर्ज मामले सत्य प्रतीत होते है तथा आगे अनुसंधान जारी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियो की प्रत्येक माह मे आयोजित होनेवाली समीक्षा बैठकों मे उन्हे निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि कर प्रमादी वाहनो स्वामियो से बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र दायर करें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दें। आपत्तिग्रस्त कंडिकाओ के अन्तर्गत बकाए की वसूली हेतु नीलामपत्र प्रपत्र-3 एवं 4 मे पूरा ब्योरा अंकित कर संबंधित जिलो को	की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

अविलम्ब नीलामपत्र दायर करने हेतु भेजा गया। सचिव, राजस्व पर्षद से भी पत्रांक 5059 दिनांक 23.11.2002 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी,अनुमंडलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया । अद्यतन 7752 वाहनों पर नीलामपत्र दायर किए गए है, 17.11 लाख रू. की वसूली हो गई है तथा 9519 मामलों मे नीलामपत्र दायर करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

जि.प.अ.के कार्यालय का नाम	वाहन सं.	प्रकार	बकाया कर की अवधि	बकाया की राशि
धनबाद	बी ई आर 8775	बस	17 जनवरी 1993 से मार्च 2000	4.52
	बी एच जी 6962	बस	16 मार्च 1993 से मार्च 2000	4.37
	बी पी डब्लू 9708	बस	30 जून 1992 से मार्च 2000	4.85
	बी आर-17 0011	बस	24 जनवरी 1994 से मार्च 2000	4.42
	बी.आर.डब्लू 7909	बस	18 मार्च 1994 से मार्च 2000	4.11
गया	बी आर-2पी 2986	बस	जनवरी 1997 से मार्च 2000	2.36
	बी आर-2पी 6061	बस	जनवरी 1996 से मार्च 2000	3.20
	बी आर-2पी 9286	बस	अक्तूबर 1996 से मार्च 2000	2.49
	बी आर-2पी 9495	बस	जुलाई 1995 से मार्च 2000	3.46
	बी आर-2वी 3873	बस	[illegible] दिसंबर 1996 से मार्च 2000	2.55
जमशेदपुर	बी आर-16पी 515	बस	28 अप्रील 1996 से मार्च 2000	2.85
	बी आर-16पी 1116	बस	16 नवंबर 1994 से मार्च 2000	3.91
	बी आर-16जी 19	ट्रक	अप्रील 1993 से मार्च 2000	2.52
	बी आर-16जी 402	ट्रक	जुलाई 1995 से मार्च 2000	2.47
	बी आर-16जी 8179	ट्रक	अप्रील 1993 से मार्च 2000	2.52
राँची	बी आर-14पी 2121	बस	दिसंबर 1992 से मार्च 2000	4.97
	बी आर-14पी 2522	बस	दिसंबर 1992 से मार्च 2000	5.10
	बी आर-14पी 7866	बस	अगस्त 1993 से मार्च 2000	4.84

	बी आर-14पी 9009	बस	दिसंबर 1993 से मार्च 2000	4.64
	बी आर-14पी 269	बस	जुलाई 1992 से मार्च 2000	5.19
कुल	22 मामले			75.31

इस प्रकार देय कर की वसूली के लिए मांग-पत्र के निर्गमन में चूक होने के कारण और परिणामी प्रमाणपत्र की कार्यवाही नहीं आरंभ करने के कारण 2 जिलों में अप्रैल 1969 एवं मार्च 2000 के बीच की अवधि के लिए 1048.31 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई। एक जिला (पटना) में 490.42 लाख रुपये की बकाया राशि में 2667 मामले निहित थे जबकि दूसरे जिला (जमशेदपुर) में 496.82 लाख रुपये का बकाया था, किन्तु उसमें निहित मामलों की संख्या कार्यालय द्वारा नहीं बतायी गयी।

5.02.07 **(i) प्रमाणपत्र दायर करने में विलंब :**

बि मो वा क अधिनियम के अधीन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है जिसके अंतर्गत जि प अ को किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ करना अपेक्षित हो।

6 जिला प्रमाणपत्र अधिकारियों (*धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और राँची*) के कार्यालयों मे देखा गया कि अनेक मामलों मे 3 और 40 से अधिक वर्षों के बीच के समय के अंतर से प्रमाणपत्र दायर करने में विलंब हुआ। दृष्टांत स्वरूप 281.24 लाख रुपये राशि से निहित देय कर के 110 मामलों के विवरण आयुवार/मूल्यवार दर्शाते हुए नीचे दिये गये है:-

तदेव।

गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करे एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावें। इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी।

(लाख रू. में)

अंतग्रस्त कर (लाख)	मामलों की सं.	राशि	अंतग्रस्त जिलों की सं.
5	*12*	*67.24*	*3*
4	*6*	*26.28*	*3*
3	*18*	*57.48*	*3*
2	*19*	*49.89*	*5*
1	*55*	*80.35*	*4*
कुल	*110*	*281*	

से अधिक का विलंब (वर्षों)	*मामलों की संख्या*	*राशि*	*जिलों की संख्या*
40	*1*	*2.55*	*1*
30	*2*	*6.17*	*1*
20	*25*	*94.90*	*4*
10	*69*	*146.62*	*6*
5	*9*	*25.10*	*4*
3	*4*	*5.90*	*2*
कुल	*110*	*281.24*	

(ii) (क) *प्रमाणपत्र अधियाचनाओं को नहीं लौटाना*

लो माँ व अधिनियम के अंतर्गत पर्षद के निर्देशों के अनुसार यदि आपत्तियाँ विचारार्थ भेजी गयीं तो उनके शीघ्र निराकरण करने और आपत्तियें के निराकरण के पश्चात् संचिका वापस करने औरप्रमाणपत्र के निष्पादन हेतु शीघ्र आवेदन करने के लिये अधियाचना अधिकारी (अ अ) मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

तदैव

यह देखा गया कि प्रमाणपत्र कार्यवाही आरंभ करने के लिये जि प अ, गया ने जुलाई 1994 में 165.38 लाख रुपये से अंतर्ग्रत 271 अधियाचनाओं को जि प्र अ, औरंगाबाद के यहां भेजा। तथापि, व्यातिक्रमिये के अपूर्ण पते/मामले को अनुचित रीत से धायर करने के आधार पर इन्हें अगस्त 1996 में अ अ (जि प अ) को लौटा दियागया। वांछित सूचना देते हुए अ अ ने फिर से इन अधियाचनाओं को जि प्र अ, औरंगाबाद को भेजने के लिये कार्रवाई नही की (जून 2000)।

तदैव

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जून 2000) जि प अ, गया ने कहा कि मामले जि प अ, औरंगाबाद को भेजे जायेंगे।

गृह (आरक्षी) विभा(ग) इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावें इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी (जायेगी)

(ख) *प्रमाणपत्र अधिकारियें द्वारा वांछित सूचनाओं का अनुपालन*

लो माँ व धिनियम और समय-समय पर उसके अंतर्गत निर्गत पर्षद क निर्देशों में साथ-साथ यह भी प्रबंध कियागयाहै कि अ अ को व्यतिक्रमी वाहन मालिको का, जिनके विरुद्ध प्रमाणपत्र दायर करने है, सही पता देना है। इसके अतिरिक्त, अ अ को प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा वांछित किसी भी मामले से संबधित प्रतिवेदन देना है।

प्रमाणपत्र के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि प्रमाणपत्र अधिकारी ने 3866.98 लाख रुपये से निहित 4134 मामलों में प्रमाणपत्र कार्यवाही आरंभ करने हेतु व्यतिक्रमियों के परिवर्तित पते, देनदारों द्वारा कर दायित्व की अस्वीकृति आदि से संबंधित जैसे कतिपय विवरण अ अ से मांगा जून 1993 एवं फरवरी 2000 के बीच जिसका ब्यौरा निम्न है:-

गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावें इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी

जिला का नाम	*जि प्र अ ने जि अवधि के दौरान सूचना मांगी (के बीच)*	*मामलों की संख्या*	*राशि (लाख रू.में)*
धनबाद	1994-95 और दिसंबर 1999	1287	922.00
गया	अगस्त 1994 और सितंबर 1995	942	1037.85
हजारीबाग	जून 1993 और फरवरी 2000	362	241.07
जमशेदपुर	मार्च 1993	330	506.61
पटना	फरवरी 1997	2	6.76
रांची	मई 1995 और नवंबर 1995	1211	1153.42
कुल		4134	3866.98

(13)

		तथापि, संबंधित प्रमाापत्र अधिकारियों को कोई भी अनुपालन प्राप्त नही हुआ। संयुक्त उत्तरायित्व की धारणा की उपेक्षाकरते हुए अ अ ने न तो प्रमाणपत्र अधिकारियों की टिप्पणियों का उत्तर दिया और न प्रमाणपत्र अधिकारियों ने इन मामलों का अनुसरण ही किया। परिणामत: 3866.98 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध हो गया।		
	5.02 .08	**(क) *प्रमाणपत्र की कार्यवाही बन्द करने से राजस्व की हानि-*** एक बार प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ हो जाने पर इसे बन्द करने का कोई प्रावधान लो माँ व अधिनियम मे नही है। तथापि, जि प अ, मुजफ्फरपुर और पटना के कार्यालयों मे देखा गया कि देनदारो का पूर्ववृत्त उपलब्ध नही होने के कारण 1144.78 लाख रुपये से निहित देय कर के 1763 मामलों की कार्यवाहियाँ बन्द कर दी गयी (जनवरी 1994 एवं 1999-2000 के बीच) और परिणामत: लंबित शेष प्रमाणपत्रों से उतने मामले हटा दिये गये। फलस्वरूप 1144.78 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। दृष्टांत स्वरूप 44 मामलों का आयुवार और मूल्यवार विश्लेषण निम्नांकित है -	तदैव	गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छ: के अंदर पूर्ण करे एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

रूपये से अधिक मामले	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू.में)
4 लाख	3	12.77
3 लाख	5	17.30
2 लाख	20	48.81
1 लाख	12	17.33
50 हजार	4	2.36
कुल	44	98.57

मामलों के दायर करने और बंद करने के बीच की अवधी	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू.में)
3 वर्षो से अधिक	11	28.71
1 और 3 वर्षों के बीच	28	64.25
1 वर्ष से कम	5	5.61
कुल	44	98.57

(ख) *पंजी X से प्रमाणपत्र का गलत निष्पाद/कार्यवाही*

को बन्द करना-

7 जि प अ, (*धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और राँची*)के कार्यालयों मे देखा गया कि 1994-95 से 1999-2000 के दौरान 8981 मामले जिनमे 4824.27 लाख रुपये का बकाया कर अंतर्ग्रस्त था, निष्पादित किये गये, किन्तु पंजी X मे मामलो के निष्पादन पर वसूल किये गये बकाया की वास्तविक राशि अभिनिश्चित नही हो सकी क्योंकि जि प अ द्वारा रा प आ को प्रेषित विवरणी मे यह पूरी राशि प्रमाणपत्र कार्यवाहियों मे सन्निहित बकाये की वसूली के रूप मे दर्शायी गयी थी। इस प्रकार, मामलो के निष्पादन होने पर देय की वसूली के आंकड़े प्रमाणपत्र कार्यवाहियों मे निहित देय की वसूली को प्रकट नही कर सके। 4 जि प्र अ के कार्यालयों (गया, मजफ्फरपुर, पटना और राँची) मे 3740.23 लाख रुपये के 4034 मामलों मे प्रमाणपत्र की कार्यवाहियां बन्द कर दी गयी जबकि विवरण मे इस राशि को वसूला गया दर्शा गया। हजारीबाग और मुजफ्फरपुर मे 812.97 लाख रुपये के 480 मामले निष्पादित दर्शाये गये जिसके विरुद्ध सिर्फ 33 मामलों मे 1.11 लाख रुपये की वसूली की गयी जिसका विवरण निम्न है:-

तदैव

गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

(लाख रू. मे)

जिला के नाम	निष्पादित मामलों की संख्या	कुल अंतर्ग्रस्त राशि	वसूली गयी राशि	मामलों की संख्या
हजारीबाग	116	74.36	0.03	2
मुजफ्फरपुर	364	738.61	1.08	31
कुल	480	812.97	1.11	33

विभाग के पास न कोई तन्त्र तथा न उसने यह अभिनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई ही की कि निष्पादित/बन्द किये गये मामलो के विरुद्ध बकाया की वसूली क्या थी और उसके विरुद्ध सरकारी खाते मे कितनी राशि जमा की गयी।

(ग) प्रमाणपत्र मामलों को रोके रखना-

लो माँ व अधिनियम मे प्रमाणपत्र मामलो को रोकने/स्थगित करने के लिये कोई व्यवस्था नही है।

2 जिपअ के कार्यालयों (गया और मुजफ्फरपुर) के पता चला कि 253 मामलें जिनमें कर प्रभाव के 408.11 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त थे, **दिये गये पते पर देनदारों के नही मिलने के आधार पर संबंधित जिप्रअ द्वारा रोक दिये गये (सितंबर 1995 एवं जुलाई 1997 के बीच)। दृष्टांत स्वरूप 15 मामले जिनमे से प्रत्येक मामले मे 1 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त थी, नीचे दिये गये है:-**

(लाख रू. मे)

तदैव

गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।

जि प अ के कार्यालय के नाम	प्रमाणपत्र संख्या/ वर्ष	वाहन सं/प्रकार	अवधि	बकाया राशि	जिस अवधि मे रोका गया
गया	441/93-94	बी आर बी 2151 ट्रक	जुलाई 1994 से जनवरी 1993	3.76	सितंबर 1995
गया	458/93-94	बी आर बी 2277 ट्रक	अप्रील 1965 से दिसंबर 1992	3.66	सितंबर 1995
गया	592/93-94	बी आर बी 3034 ट्रक	नवंबर 1968 से दिसंबर 1992	3.90	सितंबर 1995
गया	703/93-94	बी आर बी 3767 ट्रक	दिसंबर 1972 से जनवरी 1993	3.03	सितंबर 1995
गया	109/93-94	बी आर बी 577 ट्रक	जुलाई 1958 से फरवरी 1993	4.37	सितंबर 1995
गया	178/93-94	बी आर बी 836 ट्रक	अगस्त 1959 से दिसंबर 1992	3.09	सितंबर 1995
गया	402/93-94	बी आर बी 1867 ट्रक	अप्रील 1965 से दिसंबर 1992	3.66	सितंबर 1995
गया	403/93-94	बी आर बी 1873 ट्रक	अगस्त 1964 से दिसंबर 1992	3.73	सितंबर 1995
गया	468/939 4	बी आर बी 2304 ट्रक	जुलाई 1972 से फरवरी 1993	3.00	सितंबर 1995
गया	434/93-94	बी आर बी 2108 ट्रक	जनवरी 1959 से जनवरी 1993	3.08	सितंबर 1995
गया	449/93-94	बी आर बी 2236 ट्रक	अक्तूबर 1973 से दिसंबर 1992	3.05	सितंबर 1995

गया	456/93-94	बी आर बी 2271 ट्रक	अक्तूबर 1979 से दिसंबर 1992	2.24	सितंबर 199[illegible]
गया	482/93-94	बी आर बी 2369 ट्रक	अप्रील 1974 से जनवरी 1993	2.80	सितंबर 1995
गया	501/93-94	बी आर बी 2427 ट्रक	मई 1974 से जनवरी 1993	2.80	सितंबर 1995
मुजफ्फरपुर	1153/93-94	एन एल ए 4229 ट्रक	अनुपलब्ध	1.10	29 जुलाई 19957
कुल				46.27	

5.02.09 (क) **प्रमाणपत्रों का निष्पादन**

लो माँ व अभिनियम के अनुसार सूचना तामील करने की तिथि से जब तक तीस दिन व्यतीत न हो आयप्रमाणपत्र अधिकारी को प्रमाणपत्र के निष्पादन हेतु कोई कदम नही उठाना है।

(i) जिप्रअ, हजारीबाग के कार्यालय मे देखा गया कि अप्रैल 1997 एवं जनवरी 1999 के बीच प्राप्त 45.21 लाख रुपये के अंतर्ग्रस्त 146 मामलो मे सूचनाएं भी 5 से 22 महीने के विलंब से जनवरी एवं जून 1999 के बीच मे निर्गत की गयी।

(ii) 5 जिप्रअ के अभिलेखों की नमूना जांच के विदित हुआ कि प्रमाणपत्र अधिकारियों द्वारा सेवा सूचनानिर्गत करने के उपरांत 5230.17 लाख रुपये से निहित 6203 मामलों मे 3 और 84 महीने के अंतराल के बाद भी प्रमाणपत्रों के निष्पादन के लिये कोई कदम नही उठाया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:-

गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका को संसूचित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करें एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करायें। इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी।

(लाख रू. में)

प्रमाणपत्र कार्यालय का नाम	मामलों की सं.	राशि	सेवा सूचना निर्गत की तिथि (बीच)	प्रथम सूचना निर्गत करने से 31 मार्च 2000 तक का विलंब
गया	151	40.65	अक्तूबर 1994 और दिसंबर 1999	3 से 65 महीने
हजारीबाग	217	94.51	जुलाई 1996 और जून 1999	10 से 45 महीने
मुजफ्फरपुर	9	50.31	दिसंबर 1995	54 महीने
पटना	239	366.83	अप्रील 1996 और अक्तबूर 1998	18 से 47 महीने
रांची	5587	4877.87	मार्च 1993 और जून 1995	57 से 84 महीने
कुल	6203	5230.17		

		उपर्युक्त मे से केवल 3 जिलो (हजारीबाग, रौची और मुजफ्फरपुर) मे 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान क्रमशः 136.82 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त मात्र 64 प्रमाणपत्र मामलो मे जिनमे हर मामलो 1 लाख रुपये से अधिक का था, क्रमशः 11.07 लाख रुपये (5 मामले), 75.44 लाख रुपये (50 मामले) और 50.31 लाख रुपये (9 मामले) अंतर्ग्रस्त थे। (ख) **पंजी X में मामलों की प्रविष्टि में विलंब** लो मौ व अधिनियम के अन्तर्गत बकाये की वसूली हेतु प्रारंभ प्रमाणपत्र की कार्यवाहियाँ प्रपअ को भेजा जाना अपेक्षित है जो उनके विवरणो की प्रविष्टि, पंजी X नामक पंजी मे करते है। पुनः, प्रमाणपत्र अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रमाणपत्र कार्यालय मे किसी प्रकारका विलंब न हो और आवेदन करने पर प्रमाणपत्र शीघ्रातिशीघ्र निर्गत हो। जि.प्र.अ, रौंची के कार्यालय मे देखा गया कि मार्च एवं जून 1993 के बीच प्राप्त 4058,96 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त 48[illegible] प्रमाणपत्र अधियाचनाएँ तथा फरवरी एवं मई 1995 के बीच प्राप्त 818.90 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त 713 अधियाचनाएँ क्रमशः 199[illegible] एवं 1995 तथा 1997 एवं 1998 के बीच पंजी X मे प्रविष्ट की गयी, जिसके कारा प्रमाणपत्र कार्यवाही आरंभ करने मे 2 से 3 वर्षों का विलंब हुआ। उक्त निष्कर्ष विभाग को बताये गये (जुलाई 2000) और सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।	तदैव	गृह (आरक्षी) विभाग इस कंडिका से संबंधित सभी दर्ज की गई प्राथमिकी का अनुसंधान छः के अंदर पूर्ण करे एवं प्रति माह समिति को प्रगति प्रतिवेदन लिखित रूप से उपलब्ध करावे । इसी प्रकार राजस्व पर्षद के लिये भी उपर्युक्त अनुशंसा लागू मानी जायगी ।
	5.03	**अभ्यर्पित वाहनों से कर का अनुद्ग्रहण** बि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बने नियमो के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय मे छः महीने से अधिक नही होगी, नही करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का उसका दावा आवश्यक साक्ष्यो जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, कर प्रतीक आदिसे समर्थित हो। वाहन को उपयोग मे नही लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने के योग्य होगा। इसके अतिरिक्त, करारोपण अधिकारी यदि आवश्यक जाँचोपरांत संतुश्ट हो कि मोटर वाहन का कम से कमएककैलेन्डर महीना तक लगातार उपयोग नही कियागयाहै तोवह मोटर वाहन मालिक को अधिकतम 4000 रुपये तक के बकाये के भुगतान से छूट दे सकात है और जब ऐसे बकाये कर की राशि की समा बढ़ जाती है तो वह मामले के निर्णय हेतु रा प आ या किसी अधिकारी जो सहायक परिवहन आयुकत के पद से कम न हो, के पास भेजेगा। (क) ***अभ्यर्पण हेतु आवेदनों की अस्वीकृति*** 16 जिला परिवहन कार्यालयों (बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बोकारो, दरभंगा, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना,पूर्णिया, रौंची, समस्तीपुर, सासाराम (रोहतास) और सीतामढ़ी)मे यह देखा गया (जुलाई 1996 एवं जून 2000 के बीच) कि अप्रैल 1991 एवं मार्च 1999 के बीच की विभिन्न अवधि के लिए 40 मोटर वाहनो से पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की वसूली नही हई यद्यपि रा प आ और क्षे प प्राप द्वारा कर भुगतान से छूट के आवेदन अस्वीकृत (नवम्बर 1993 एवं जुलाई 1999 के बीच) कर दिये गये थे। इसके फलस्वरूप 14.77 लाख	इस कंडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलों के लिए स्थिति स्पष्ट की जा रही है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले है कारण कि झारखंड राज्य के जिलो के संबंध मे अब झारखंड के अधिकारियों द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है। वाहनों स्वामियों द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनों का प्रत्यर्पण दिखा कर करों का भुगतान नहीं करना और वास्तव मे वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है । इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों मे वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलों की समीक्षा करें और जहां भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित हो अथवा	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध मे विभाग की गई कारवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

रुपये राशि के कर की वसूली नही हुई।

(ख) *छः महीने के पश्चात् का अभ्यर्पण*

15 जिला परिवहन कार्यालयों (बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा (सारण), *दरभंगा, देवघर, दुमका, गया गिरिडीह, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, राँची और सासाराम (रोहतास)*) मे यह देखा गया (मई 1997 एव जून 2000 के मध्य) कि 128 मोटर वाहनो से सम्बन्धित अभयर्पण की विहित अवधि जुलाई 1994 एवं मार्च 1999 के मध्य समाप्त हो गयी थी, परंतु किसी भी मालिक से अभ्यर्पण की अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नही हुए। ऐसे वचनपत्र के अभाव मे, वाहन मालिक जुलाई 1994 एवं जून 2000 के मध्य की अवधि के लिए 31.96 लाख रुपये के कर के देनदार थे जिसका न तो भुगतान किया गया न विभाग द्वारा सकी वसूली ही की गयी।

(ग) *छूट के मामलों का लम्बित रहना-*

24 जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, भोजपुर, बोकारो, डालटेनगज, दरभंगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जहानाबाद, जमशेदपुर, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, मजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, राँची, समस्तीपुर और सासाराम (रोहतास)।)मे यह देखा गया (जुलाई 1996 एवं जून 2000 के मध्य) कि 170 मोटर वाहनो से संबंधित जनवरी 1990 एवं अप्रैल 2000 के मध्य की विभिन्न अवधि के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की वसूली नही की गयी क्योंकि रा प आ और संबंधित क्षे प प्रा के कार्यालय मे सितम्बर 1992 से ही करों से छूट के आवेदन लंबित पड़े थे। छूट के मामलों के लंबित रहने के विशेष कारण, यद्यपि माँगे गये थे, विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराये गये। इसके कारण 51.33 लाख रुपये के करो की वसूली नही हुई।

उपर्युक्त निष्कर्ष विभाग को बताये गये (जुलाई 2000) और सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 2000). उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)।

नही, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत करायें ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा [illegible] प्रत्यर्पण के वैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें ।

उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजे । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है।

जहां तक वैसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नहीं किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलों मे शामिल न हो ।

वस्तुत: बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 मे कुछ वैधानिक प्रावधन ऐसे थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद मे भी प्रर्त्यपण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एवं उड़िसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमे वाहनों का प्रर्त्यपण तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रर्त्यपण विधिवत किया जाय । राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के सन्य रहने की स्थिति मे ही वाहन के प्रर्त्यपण का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रर्त्यपण की अवधि के लिए करों मे छूट दिये

		जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियों की अधिसीमाएँ करारोपण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस आलोक में भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।	
5.04	**बिना अनुज्ञापत्र के वाहनों का उपयोग करने के कारण राजस्व की हानि** मोटर वाहन अधिनियम, 1988, बि मो वा क अधिनियम, 1994 औरउनके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार क्षे प प्राय या राज्य परिवहन प्राधिकार या अन्य विहित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र की शर्तों के सिवाय कोई भी मोटर वाहन मालिक सार्वजनिक स्थान में स्वयं उस वाहन का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में नही करेगा याउपयोग करने के लिए अनुमति नही देगा चाहे उस वाहन मे यात्री या माल हो या नही हो। बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन वाहन परिचालन के लिए उपभोक्ता अर्थदण्ड का देनदार होगा जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत विहित दरों पर अनुज्ञापत्र शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने बिना अनुज्ञापत्रों के चलने वाले मोटर वाहनों को जब्त करने और रोक रखने के लिए प्र शा और चलंत दस्ता को प्राधिकृत किया है (अप्रैल 1991)। दिसम्बर 1999 एवं जून 2000 के मध्य 9 जिला परिवहन कार्यालयों (बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, राँची और समस्तीपुर)के अभिलेखे की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 6806 वाहनों के लिए कर का भुगतान कियागया औरयोग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। रा प आ औरसम्बन्धित क्षे प प्रा के अभिलेखों की तिर्यक जांच के दौरान पाया गया कि निदिष्ट पथ पर वाहन चालन के लिए मालिकों ने रा प आ/क्षे प प्रा से इन वाहनो के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त नही किया। यह भी देखा गया कि प्र शा/चलंत दस्ता भी सड़क पर इन वाहनो को जब्त करने मे असफल रहा। इस प्रकार, रा प अ, क्षे प प्रा, जि प अ और प्र शा/ चलंत दस्ता के बीच समन्वय के अभाव मे बिन अनुज्ञापत्र के 6806 चलने वाले पविहन वाहनो का पता नही लग सका, फलत: 1994-95 एवं 1999-2000 के बीच की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क (136.12 लाखरुपये) और आवेदन शुल्क (4.02 लाख रुपये) के रूप मे 140.14 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। उपर्युक्त निष्कर्ष विभाग को बताये गये (जुलाई 2000) और सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 2000) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।	प्रवर्तन तंत्र के केन्द्रीय कृत रोटेशनल जाँच व्यवस्था के अन्तर्गत बिना परमिट के परिचालन पर अंशतः नियंत्रण प्राप्त किया गया है । बिहार वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में हुए संशोधनों मे दूरी आधारित टैक्स व्यवस्था होने से तथा सवारी गाड़ी के संदर्भ मे भी टैक्स भुगतान की अवधि के लिये प्राधिकरण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था लागू होने से बिना परमिट के परिचालन पर पूर्णतः अंकुश लाना संभव हो सकेगा ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।
5.05	**वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की कम वसूली** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णत: शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रियाकलाप के लिये होता है, आमनीबस वाहन	संपूर्ण भारत वर्ष में कुल निबंधित वाहनों का लगभग 25 प्रतिशत गैर परिचालित वाहन माने जा सकते है । फिर भी इस प्रतिशत से अधिक कर	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के

		माना जाता है और तदनुकूल कर का आरोपण होता है। जुलाई 1994 में निर्गत, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उप संस्था को नहीं मिलेगी जिस संस्था को बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है। 10 जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, बोकारो, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, हजरीबाग, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना और रांची) में 86 मोटर वाहन जो बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, फिर भ उन्हें ऑम्नीबस माना गया और पथकर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर कम दर पर वसूले गये जिसे फलस्वरूप जनवरी 1994 एवं अक्तूबर 2002 के बीच की अवधि के लिये 55.53 लाख रुपये रुपये के कर कम वसूले गये। इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (मई 1999 एवं जनवरी 2000 के बीच) कि 65 मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जायेंगे, 19 मामलों में वसूली की कार्रवाई की जायेगी और 2 मामलों में जांच की जायेगी तथा मांगपत्र निर्गत किये जायेंगे। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)	नहीं देने वाले वाहनों की धरपकड़ प्रवर्त्तन तंत्र द्वारा उनकी परिचालित होते समय ही संभव है। पूर्व में ऐसे बकायादार वाहनों के स्वामियों के पते से जब पत्र भेजे गये थे तो उनमें से अनेकानेक पत्र अधुरे पते रहने के कारण वापस आ गये थे जिस कारण उनके वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकियाँ भी दर्ज कराई गई है । अब कर प्रमादी वाहनों को परिचालन के समय ही पकड़ने हेतु रियल टाईम व्हीकील ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिसे बी.ओ.टी.आधार पर संपन्न कराने हेतु मंत्रिपरिषद् की सैधांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस पद्धति के लागू होने के उपरान्त आशा की जाती है कि कर प्रमादी परिचालित होने वाले वाहनों का प्रतिशत नगण्य रह जायगा ।	संदर्भ में निष्पादित करती है।
	5.06	**कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी** समय-समय पर यथा संशोधि बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ में 15 दिनों के अंदर भुगतेय है। 20 जिला परिवहन कार्यालयों (बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बोकारो, चाईबासा, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, हजरीबाग, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, राँची, समस्तीपुर, और सासाराम (रोहतास)) में देखा गया (मई 1999 एवं मार्च 2000 के बीच) कि 674 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया तथा उनके परिवर्तित पते के संबंध में कोई सूचना अभिलेखित नहीं थी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1990 से मार्च 2000 की अवधि से संबंधित 312.33 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी। इन्हें बताये जाने पर (मई 1999 एवं मार्च 2000 के बीच) संबंधित प्राधिकारियों ने कहा (मई 1999 एवं मार्च 2000 के बबीच) कि 634 मामलों में माँगपत्र निर्गत किये जायेंगे तथा 40 मामलों में जांच की जायेगी। तदुपरांत उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)।	राज्य विभाजन के उपरान्त इस राज्य में अबतक निबंधित सभी वाहनों में से जिनके विरूद्ध किसी प्रकार के कर अथवा शुल्क का बकाया है, मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत डाटा-बेस तैयार किया गया है। मुख्यालय स्तर से मांग नोटिस भी दिए गए है तथा मांग नोटिस के फलाफल के आधार पर यथा आवश्यक नीलाम पत्र वाद दायर करने/ प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई भी की गई है। उक्त कृत कार्रवाई का विस्तृत विवरण उपर्युक्त कंडिका में दिया गया है। मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठकों में भी कर प्रमादी वाहनों की अद्यतन सूची, मांग नोटिस निर्गत करने की स्थिति, नीलामपत्र वाद दर्ज करने एंव निष्पादन की स्थिति, प्राथमिकी दायर करने की प्रगति आदि के आधार पर यथोचित निर्देश दिए जाते है । परिणामस्वरूप केन्द्रीय रूप से कर संग्रह एवं बकाए की वसूली पर प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त नियंत्रण रखा जा रहा है। इस कंडिका में आपत्तिग्रस्त मामलों में भी उपर्युक्त कंडिका के अनुरूप	विभागीय स्पष्टीकरण को आलोक में [illegible] इस [illegible] [illegible] [illegible] संदर्भ में निष्पादित करती है।

			कार्रवाई की गई है।	
	5.07	**योग्यता प्रमाणपत्र की गलत स्वीकृति/नवीकरण** (क) मोटर वाहरन अधिनियम, 1939 (1988 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) के अधीन कोई परिवहन वाहन वैध रूप से पंजीकृत नही माना जायेगा जबतक इसके लिये मोटर वाहन निरीक्षक से योग्यता प्रामणपत्र नही ले लिया जाता। विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (सितंबर 1982) अनुसार मोटर वाहन निरीक्षको को वैसे परिवहन वाहनो के लिये योग्यता प्रमाणपत्र स्वीकार/नवीकरण नही करना है जिनके विरुद्ध बकाया कर हो। 12 जिला परिवहन कार्यालयों (* वेगुसराय, भागलपुर, बोकारो, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, हजारीबाग, मधुबनी, पटना और पूर्णिया।) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अक्तूबर 1996 एवं दिसंबर 1999 के बीच) कि 65 वहनों के विरुद्ध जनवरी 1990 एवं अगस्त 1999 के बबीच की अवधि के लिये 13.50 लाख रुपये राशि के पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर बकाया था, किंतु कर भुगतान नही करने की अवधि मे भी विहित प्राधिकारियों द्वारा उन्हे योग्यता प्रमाणपत्र दिये गये। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (अक्तूबर 1996 एवं दिसम्बर 1999 के बीच) जि प अ ने कहा (अक्तूबर 1996 एवं दिसंबर 1999 के बीच) कि 16 मामलो मे मांगपत्र निर्गत किये जायेंगे, 17 मामलो मे जांच की जायेगी और 32 मामलों मे संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों को मामले सुपुर्द किये जायेंगे। तदुपरांत उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)। (ख) जुलाई 1991 मे निर्गत रा प आ के कार्यपालक अनुदेश के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षको को, वैसे वाहनो को जो कर भुगतान नही करने की अवधि में सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए, अभिग्रहित करते हुए उनके मालिको के विरु(मामले दायर करने है। 7 जिला पहरवहन कार्योलयो (भोजपुर, बोकारो, छपरा (सारण), गया, हजारीबाग, खगड़िया और सासाराम (रोहतास)) मे देखा गया (जून 1997 एवं मार्च 2000 के बीच) कि जनवरी 1990 एवं दिसम्बर1998 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 14 मोटर वाहन मालिको ने पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का अपवंचन किया फिर भी कर भुगतान नही करने की अवधि के दौरान सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए इन वाहनो को मोटर वाहन निरीक्षकों ने योग्यता प्रमाणपत्र दिया। कार्यपालक अनुदेश के अननुपालन के फलस्वरूप 7 लाख रुपये के कर की वसूली नही हुई। इन्हे बताये जाने पर (जून 1997 एवं मार्च 2000 के बीच) जिपअ ने कहा कि 10 मामलों में मांग पत्र निर्गत किये जायेंगे और अन्य 4 मामलों मे जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदुपरांत उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।	सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षको द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजें । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रेषित किया गया है। जहां तक वैसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले में भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलो मे शामिल न हो । इस आलोक मे भविष्य मे इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु आगरूकता बरती जा रही है।	उत्तरवर्ती बिहार एवं इसके जिलों के संबंध मे विभाग को गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत करायें ।
	5.08	**पंजीयन को रद्द करने पर कर की वसूली नहीं किया जाना-**		

रा प आ के जून 1981 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार बकाये कर की वसूली करने के बाद ही पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

9 जिला परिवहन कार्यालयों () में जनवरी 1990 एवं नवम्बर 1997 के बीच की अवधि के लिए 6.21 लाख रुपये के कर की बिना वसूली यि 18 परिवहन वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये (जनवरी 1995 एवं नवबर 1997 के बीच)।

इन्हें बताये जाने पर (जनवरी 1997 एवं मार्च 2000 के बीच) जि प अ ने कहा (जनवरी 1997 एवं मार्च 2000 के बीच) कि 5 मामलों में मांग पत्र निर्गत किये जायेंगे, 12 मामलों में जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी और एक मामला जांच के लिये क्षे प ,पा, हजारीबाग को भेजा जायेगा। तदुपरांत उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2001)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)।

वाहनों स्वामियों द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनों का प्रत्यर्पण दिखा कर करों का भुगतान नहीं करना और वास्तव में वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है । इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलों में वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलों की समीक्षा करें और जहां भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित हो अथवा

नहीं, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत करायें ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04. 2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्यर्पण के वैसे मामलों को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें ।

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस [illegible] के उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में, निष्पादित करती है।

5.09 **व्यवसायियो/विनिर्माताओं से कर की वसूली न होना-**

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अधीन मोटर वाहनों के विनिर्माता या व्यवसायी को कारबार के दौरान उनके अधिकार में रहे मोअर वाहनों के लिये अनुसूची III में निर्दिष्ट वार्षिक कर की दर से कर भुगतान करना है।

5 जिला परिवहन कार्यालय में देखा गया (अक्तूबर 1996 एवं मार्च 2000 के बीच) की वर्ष 1993-94 से 1998-99 के दौरान 52 व्यवसायियों/विनिर्माताओं से उनके अधिकार में रहे 114729 वाहनों के लिये कर की वसूली नहीं की गयी। फलतः 92.48 लाख रुपये राशि के कर की वसूली नहीं हुई जिसका ब्योरा निम्न है :-

व्यवसायिओं द्वारा देय कर के भुगतान को कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके याचिकाओं को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् व्यवसायिओं से कर की वसूली हेतु प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, वसूली भी हुई है तथा जिनसे वसूली नहीं हो सकी है उनके विरूद्ध नीलामपत्र दायर करने के निदेश दिया गया है।

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को उत्तरवर्ती बिहार के संदर्भ में निष्पादित करती है।

जि प अ के कार्यालय का नाम	वर्ष	वाहनों की संख्या	देयकर (लाख रु में)
भागलपुर	1993-94	433	0.28
	1994-95	1388	0.85

दरभंगा	1994-95	958	0.55
	1995-96	452	0.27
धनबाद	1994-95	4710	2.77
जमशेदपुर	1995-96	46153	38.54
	1996-97	52536	44.20
	1998-99	5732	3.51
पूर्णिया	1994-95	805	0.54
	1995-96	343	0.24
	1996-97	1218	0.91
कुल		114728	92.48

कुल 92.48 लाख रुपये में से 94718 वाहनों में अंतर्ग्रस्त 79.87 लाख रुपये केवल 5 व्यवसायियों/विनिर्माताओं से असंबंधित थे **जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।-**

जि प अ के कार्यालय का नाम	व्यवसायी / विनिर्माता का नाम	वर्ष	वाहनों की सं.	राशि (लाख रू.में)
जमशेदपुर	मेसर्स टेल्को लि. ,जमशेपुर	1995-96 1996-97	40731 47114	75.30
जमशेदपुर	मेसर्स पेब्को लि.आटो डिविजन, जमशेपुर	1995-96 1996-97	840 840	1.20
जमशेदपुर	मेसर्स तिवारी येचर्स एण्ड कंपनी लि. जमशेदपुर	1995-96 1996-97	612 612	1.05
धनबाद	मेसर्स राहुल उद्योग विनियोग लि. धनबाद	1994-95	2195	1.30
धनबाद	मेसर्स सूर्या आटो धनबाद	1994-94	1774	1.02
कुल			94718	/9.87

इन्हे बताये जाने पर (नवम्बर [illegible] एवं मार्च 2000 के बीच) जिपअ ने कहा (नवम्बर 1996 [illegible] 2000 के बीच) कि मांग पत्र निर्गत किये जायेंगे। उदुपरांत [illegible] प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2001)।

		मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।		
	5.10	**5.10 [illegible] देय किस्तों की वसूली नहीं होना-** रा प आ, बिहार के जनवरी 1984, अगस्त 1985 जुन 1988, नवम्बर 1991 एवं सितंबर [illegible] मे निर्गत कार्यपालक अनुदेशो के अनुसार वर्तमान कर के साथ अर्थदण्ड सहित बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वहन कर, प्राधिकारी द्वारानियम किस्तों मे वसूलनीय थे और भुगतान मे चूक होने पर बकाये की समग्र राशि एकमुश्त वसूल की जानी थी। 8 जिला परिवहन कार्यालयो (बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा (सारण), गया, गिरिडीह, हजारीबाग और सासाराम (रोहतास)) मे देखा गया कि 34 परिवहन वाहन मालिको को वर्तमान तिमाही कर के साथ बकाये कर की एक तिहाई एक मुश्त भुगतान करने पर, जुलाई 1982 से मई 1998 की अवधि के लिये कुल 14.10 लाख रुपये का बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर किस्तों मे भुगतान करने की अनुमति दी गयी। तथापि, यह देखा गया कि 3 मामलो मे परवर्ती एक भी किस्त की वसूली नहीं हुई और शेष 31 मामलो मे केवल कुछ ही किस्त वसूले गये। 10.93 लाख रुपये की राशि (अर्थदण्ड के अतिरिक्त) के अतिशेष किस्तो की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नही की गयी। इन्हे बताये जाने पर (अक्तूबर 1998 एवं मार्च 2000 के बीच) जि प अ ने कहा (नवम्बर 19998 एवं मार्च 2000 के बीच) कि 21 मामलो मे मांगपत्र निर्गत किये जायेंगे तथा 13 मामलो मे राशि की वसूली के लिये कार्रवाइ की जायेगी। तदुपरांत उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।	लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन की उपर्युक्त कंडिका के अनुपालन के संबंध मे यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन की आपत्ति कंडिकाएँ मुख्यत: करो की कम वसूली अथवा नही वसूली से संबंधित है बकाए कर की वसूली के बिना चालू कर स्वीकार करना संबंधित पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है तथा ऐसे पदाधिकारियो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभी कार्यालयो से अबतक पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पदस्थापन की अवधि के आधार पर जिम्मेवारी निर्धारित करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। जहां तक राजस्व की क्षति का प्रश्न है जैसा कि स्पष्ट किया गया है राज्य के प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय मे अबतक निबंधित सभी वाहनो मे से कर के बकाया से संबंधित मामलों मे [illegible] तैयार कर मुख्यालय स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण करते हुए वसूली की कार्रवाई, नीलामपत्र वाद अथवा यथा आवश्यक प्राथमिकी दायर करने की कार्रवाई की गई है।	गृह (आरक्षी) [illegible] इस कंडिका [illegible] संबंधित [illegible] की गई [illegible] अनुसंधान [illegible] आर्थिक पूर्ण [illegible] प्रति माह [illegible] प्रति [illegible] लिखित [illegible] उपलब्ध [illegible] इसी प्रकार [illegible] पर्व [illegible] उपर्युक्त [illegible] लागू माना [illegible]
	5.11	**गलत दर लगाने के कारण कम कर अधिरोपित होना** बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बि मो वा क अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक को अधिनियम की अनुसूची-I (भाग-ग) एवं अनुसूची II मे निर्धारित दरो पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है। 9 जिला परिवहन कार्यालयो (बोकारो, चाईबासा, छपरा (सारण), पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, किशनगंज, लोहरदगा, मधेपुरा और रांची।) मे 53 मोटर वाहनों पर अधिनियम की अनुसूची (अनुसूचियो) मे निर्धारित दरों से कम दर पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर लगाये गये। फलस्वरूप जनवरी 1990 एवं दिसंबर 1999 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 5.97 लाख रुपये के कम कर लगाये गये। इन्हे बताये जाने पर (जनवरी 1997 एवं जनवरी 2000 के बीच) जि प अ ने कहा (जनवरी 1997 एवं जनवरी 2000 के बीच) कि 52 मामलों मे मांगपत्र निर्गत किये- जायेंगे और एक मामला मे वसूली के लिये प्रमाणपत्र दायर किया जायेगा। तदुपरांत उत्तर प्राप्त	इस कंडिका के संबंध मे मात्र उन्ही जिलो के लिए [illegible] की जा रही है जो उत्तरवर्ती बिहार के जिले हैं कारण कि झारखंड राज्य के जिलो के संबंध मे अब झारखंड के अधिकारियो द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जानी है। वाहनो स्वामियो द्वारा कर अपवंचना के उद्देश्य से वाहनो का प्रर्त्यपण दिखा कर करों का भुगतान नही करना और वास्तव मे वाहनों को परिचालित करते रहना एक अपराध है। उक्त कृत्य से वैसे संबंधित वाहन मालिको के विरूद्ध धोखाधड़ी तथा सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग का मामला बनता है ।	उत्तरवर्ती बिहार [illegible] इसके [illegible] मे विभागों की [illegible] कार्रवाई [illegible] की [illegible] अन्दर अंतर्गत [illegible]

		नही हुए है (जनवरी 2001)। मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2000), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (जनवरी 2001)।	इस कारण सभी जिला परिवहन पदाधिकारियो को विभागीय पत्रांक 1564 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1970 से लेकर आज तक अपने अपने जिलो मे वाहन प्रत्यर्पण के सभी मामलो की समीक्षा करें और जहां भी इस प्रकार की अपराध दृष्टिगोचर हो चाहे वे अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित हो अथवा नही, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दायर कर प्राथमिकी संख्या से मुख्यालय को अवगत करायें । सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 28.04.2003 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन प्रत्यर्पण के वैसे मामलो को विचारार्थ स्वीकार किया गया है जिन पर पूर्व से ही बकाया था, उनके नाम तथा विवरण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को भेजें । उसी प्रकार सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन मोटर यान निरीक्षकों द्वारा इस प्रकार के मामलो मे कर्त्तव्योलंघन किया गया है उनके विरूद्धभी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संपूर्ण विवरण मुख्यालय को अविलंब भेजे । यह निदेश विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 28.04.2003 द्वारा प्रषित किया गया है। जहां तक वेसे वाहन स्वामियों का प्रश्न है जिनके द्वारा कर माफी अस्वीकृत होने के बाद भी करों का भुगतान नही किया गया है, उनके मामले मे भी कर भुगतान हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करने का निदेश दिया गया है यदि वे मुख्यालय द्वारा प्रेषित लगभग 10,804 मामलों मे शामिल न हो । वस्तुत: बिहार एवं उडिसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1930 मे कुछ वैधानिक प्रावधन ऐस थे जिनका लाभ वाहन स्वामियों द्वारा बाद मे भी प्रत्र्यपण प्रतिवेदन देकर उठा लिया जाता था । बिहार एवं उडिसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 अधिनियमित किया जा चुका है उसमे वाहनो का प्रत्र्यपण	

			तभी विचारणीय है जब वाहन का परिचालन बंद करने की पूर्व सूचना देकर प्रत्यर्पण विधिवत किया जाय। राज्य सरकार का यह निदेश भी दिया जा चुका है कि सभी आवश्यक कागजातों के मान्य रहने की स्थिति मे ही वाहन के प्रत्यर्पण का आवेदन विचारार्थ स्वीकृत किया जाय, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाय। प्रत्यर्पण की अवधि के लिए करों मे छूट दिये जाने के मामलों पर विचार हेतु वित्तीय शक्तियों की अधिसीमाएँ अनुज्ञापन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं मुख्यालय मे राज्य परिवहन आयुक्त के लिए निश्चित कर दी गई है। इस आलोक मे भविष्य मे इस प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित न हो इस हेतु जागरूकता बरती जा रही है।

पटना
दिनांक 29-4-03

रामदेव वर्मा,
सभापति
लोक लेखा समिति

बि० स० मु० (एल०ए०) 81—डी०टी०पी०—500

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

के

प्रतिवेदन सं० - 401-404

का परिशिष्ट - छ

(प्रतिवेदन सं0-401 के साथ कृपया देखे।)

वि० स० मु० (एल०ए०) - मोनोइल - 500 -